



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या—4

**भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)**

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या—4**

विषय–सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं०
प्राक्कथन		v-vii
विहंगावलोकन		ix-xiv
भाग—अः आर्थिक क्षेत्र		
अध्याय—१: प्रस्तावना		
इस अध्याय के सम्बन्ध में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.3	2
लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया	1.4	2
विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही	1.5	3
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गयी वसूलियाँ	1.6	4
राज्य विधानमण्डल में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.7	4
अध्याय—२: अनुपालन लेखापरीक्षा		
सहकारिता विभाग		
ऋण माफी योजना, 2012 की परिकल्पना एवं कार्यान्वयन	2.1	7
वन विभाग		
प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली न होने के कारण हानि	2.2	11
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग		
ब्याज की परिहार्य हानि	2.3	12
ऊर्जा विभाग		
विद्युत शुल्क की वसूली न हो पाना	2.4	12
भाग—बः राजस्व क्षेत्र		
अध्याय—३: सामान्य		
परिचय	3.1	15
प्राप्तियों का रुझान	3.2	15
राजस्व के बकाये का विश्लेषण	3.3	18

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन—सारांशीकृत स्थिति	3.4	20
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया	3.5	21
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.6	22
प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन	3.7	22
अध्याय—4: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	4.1	23
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	23
दुकानों के चयन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का सम्पहरण किये जाने में विफलता	4.3	24
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना	4.4	26
मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण	4.5	27
देशी मंदिरा की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू०प्र०मा०) का विगत वर्ष की न्यू०प्र०मा० से कम पर निर्धारण	4.6	28
भारत निर्भित विदेशी मंदिरा (भा०नि०वि०मा०) की फुटकर अनुज्ञापन की दुकानों के व्यवस्थापन पर विगत वर्ष से कम अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण	4.7	29
अध्याय—5: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर		
कर प्रशासन	5.1	31
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	31
कर का कम/न आरोपण	5.3	32
पुनरावृत्तीय प्रकृति की अनियमिततायें	5.4	34
अध्याय—6: अन्य कर प्राप्तियाँ		
(अ) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	6.1	37
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	38
परिवहन वाहनों के स्वरस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना	6.3	39
कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण	6.4	40
जे०एन०एन०य०आर०एम० बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया	6.5	41

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
(ब) स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	6.6	42
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.7	42
अधिनियमों / नियमों का अनुपालन	6.8	43
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	6.9	43
अध्याय-7: खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	7.1	45
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.2	45
खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया	7.3	46
पर्यावरण मंजूरी का क्रियान्वयन	7.4	47
ईंट भट्टा स्वामियों से रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना-पत्र शुल्क वसूल नहीं किया गया	7.5	49
अनधिकृत उत्खनन	7.6	50
परिशिष्ट		53-76

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के 2016–17 की अवधि के किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके; 2016–17 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में दो भाग सम्मिलित हैं।

भाग—अ: आर्थिक क्षेत्र

इस भाग में नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत सम्पादित उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस भाग की विशिष्टता निम्नलिखित है:

1. दिसम्बर 2012 में सहकारिता विभाग द्वारा लागू की गई ऋण माफी योजना—2012 (एलडब्ल्यूएस—2012) की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये—

- ✓ एलडब्ल्यूएस—2012 का उद्देश्य ऐसे छोटे एवं सीमांत किसानों, जिन्होंने ₹ 50,000 तक का ऋण लिया था और मूलधन का कम से कम 10 प्रतिशत चुका दिया था, को लाभ पहुँचाना था। हालांकि, योजना के तर्कों ने राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश (दिसम्बर 2007) का उल्लंघन किया, जिसके द्वारा ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के विरुद्ध जमीन की नीलामी के माध्यम से राजस्व वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी जिनके पास 3.125 एकड़ तक की भूमि हो भले ही उन्होंने ₹ 1 लाख तक या अधिक का ऋण लिया हो।
- ✓ एलडब्ल्यूएस—2012 योजना मात्र ऐसे किसानों को लाभ देने के लिए परिकल्पित की गयी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) से ऋण लिया हो और ऐसे अन्य किसानों को नहीं, जिन्होंने उसी प्रकार के ऋण दूसरे सहकारी एवं पीएसयू बैंकों, ऐसे सहकारी बैंकों सहित जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के पास अंशपूँजी का महत्वपूर्ण स्वामित्व था, से लिए थे।
- ✓ एलडब्ल्यूएस—2012 से लगभग 7.58 लाख छोटे एवं सीमांत किसान लाभांवित हुए, एवं जिससे राजकोष को वर्ष 2012–16 के दौरान ₹ 1,784 करोड़ का व्यय वहन करना पड़ा। 75 जिलों में से 17 जिलों की नमूना लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि लाभ प्राप्त करने वाले किसानों में से तीन से 18 प्रतिशत तक अपात्र थे, क्योंकि उन्होंने मूलधन का निर्धारित न्यूनतम 10 प्रतिशत तक भी जमा नहीं किया था।
- ✓ इस योजना ने वर्ष 2012 से 2016 के दौरान यूपीएसजीवीबी को लाभप्रद बनने में सक्षम बनाया (अन्यथा, यूपीएसजीवीबी हानि वहन करने वाली इकाई थी)।
- ✓ योजना के नियोजन एवं निष्पादन में हितों के टकराव अन्तर्निहित थे क्योंकि दिसम्बर 2012 तक प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग ने यूपीएसजीवीबी के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात्, कार्यान्वयन अवधि के दौरान मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग ने बैंक का नेतृत्व किया।

2. निदेशालय, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 का अनुपालन सुनिश्चित कराने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क और उस पर ब्याज, कुल ₹ 19.38 करोड़ की वसूली न हो सकी।

भाग—ब: राजस्व क्षेत्र

इस भाग में नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के अधीन राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों पर सम्पादित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।

इस भाग की विशिष्टता निम्नलिखित है:

1. वित्त विभाग ने प्रशासनिक विभागों के प्रस्तावों को अनदेखा करके विगत वर्ष के बजट अनुमानों में एकपक्षीय रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों को निश्चित कर दिया, फलस्वरूप कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता रही। वित्त विभाग ने डी०पी०सी० एकट, 1971 की धारा 18 (1) (बी) और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 181 में प्रतिष्ठापित भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्धारण सम्बन्धी अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने से मना कर दिया।
2. वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर राजस्व के पाँच प्रमुख शीर्षों में कुल राजस्व बकाये की धनराशि ₹ 28,070.32 करोड़, वर्ष 2016–17 के लिए राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,14,909.99 करोड़) का 24.42 प्रतिशत था, जिसमें से 42.26 प्रतिशत (₹ 11,863.23 करोड़) बकाया पाँच वर्ष या उससे अधिक की अवधि से वसूली हेतु लम्बित था।
3. दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये लोक लेखा समिति के निर्देशों पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 843.16 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 453.91 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 1,297.07 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।
4. देशी मदिरा की न्यू०प्र०मा० विगत वर्ष के न्यू०प्र०मा० से कम निर्धारित किये जाने के कारण शासन ₹ 87.93 करोड़ से वंचित रहा।
5. कर की गलत दर एवं वस्तुओं के गलत वर्गीकरण को लागू करने के फलस्वरूप वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 5.75 करोड़ के कर का कम/न आरोपण।
6. लेखापरीक्षा द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान प्रेक्षणों के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारियों (क०नि०प्रा०) के द्वारा वैट निर्धारण के मामलों में समुचित सावधानी से कार्य नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप धनराशि ₹ 19.28 करोड़ की समान प्रकृति की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति हुई।
7. वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संभाव्यता संचालित 9,852 वाहनों पर स्वस्थता शुल्क ₹ 54.28 लाख को आरोपित करने एवं शास्ति ₹ 3.94 करोड़ के आरोपण में विभाग विफल रहा।

8. परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर सम्भावित संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभारित माल वाहनों पर शास्ति और अपंजीकृत सामान्य वाहकों पर अर्थदण्ड धनराशि ₹ 2.18 करोड़ के आरोपण में भी विफल रहा।
9. कृषि दरों पर आवासीय भूमि का मूल्यांकन करने से स्टाप्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 6.05 करोड़ का कम आरोपण।
10. खनन विभाग सिविल कार्य करने वाले 1,181 ठेकेदारों से खनिज मूल्य की धनराशि ₹ 191.02 करोड़ की वसूली एवं शास्ति ₹ 2.95 करोड़ के आरोपण में विफल रहा।
11. खनन विभाग बिना पर्यावरण मंजूरी के उपखनिजों के उत्थनन पर ₹ 33.75 करोड़ तथा अनुमोदित खनन योजना के बिना उपखनिजों के उत्थनन पर ₹ 7.71 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियमों तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। प्रतिवेदन के भाग—अ में उ0प्र0स0 के आर्थिक क्षेत्र की लेखापरीक्षित इकाईयों से सम्बन्धित सामान्य सूचनाओं के दो अध्याय एवं चार अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रस्तर शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल ₹ 243.47 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

प्रतिवेदन के भाग—ब में राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित पाँच अध्याय शामिल हैं। इस भाग में राज्य आबकारी, बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क तथा खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 15 प्रस्तर शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल ₹ 1,751.89 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है। इनमें से सम्बन्धित विभागों द्वारा ₹ 1,535.14 करोड़ (87.63 प्रतिशत) धनराशि के प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया है।

कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

भाग—अ: आर्थिक क्षेत्र

अध्याय—1: प्रस्तावना

इस भाग में उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 18 विभागों के वर्ष 2016–17 के दौरान की गयी अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं। आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

विभाग	2014-15	2015-16	2016-17	(₹ करोड़ में)
ऊर्जा	25,949.15	48,218.81	33,976.69 ¹	
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	2,940.97	3,080.27	6,296.11 ²	
आवास एवं शहरी नियोजन	1,352.97	2,213.97	2,888.06	
राजस्व (कलेकट्रेट के अतिरिक्त)	2,567.23	2,495.16	2,721.56	
वन	775.94	840.46	1,231.72	

(प्रस्तर 1.2)

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

2012–13 से 2015–16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 19 प्रस्तरों एवं 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुपालन लेखापरीक्षाओं में से 10 विभागों से सम्बन्धित 10 प्रस्तरों एवं नौ निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुपालन लेखापरीक्षाओं, जिन पर टिप्पणी की गयी थी, के व्याख्यात्मक उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (अगस्त 2018)।

(प्रस्तर 1.5.1)

¹ उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के लिये 2015–16 में ₹ 24,232.47 करोड़ तथा 2016–17 में ₹ 14,801.29 करोड़ व्यय किये गये।

² पूर्वान्वय एक्सप्रेसवे के लिए 2016–17 में ₹ 2,882.25 करोड़ निर्गत किये गये।

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श

वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 29 लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रतिवेदित किये गये। इनमें से लो.ले.स. ने पाँच प्रस्तर विचार विमर्श और पाँच प्रस्तर लिखित उत्तर के लिए चुने। हालांकि, इन विचार किये गये प्रस्तरों के सम्बन्ध में कोई कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) प्राप्त नहीं हुए हैं।

(प्रस्तर 1.5.2)

अध्याय—2: अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का सारांश नीचे दिया गया है:

- सहकारिता विभाग द्वारा लागू ऋण माफी योजना, 2012 (एलडब्ल्यूएस—2012) की परिकल्पना एवं कार्यान्वयन

➤ सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों, जिन्होंने ₹ 50,000 तक ऋण लिया था एवं जिन्होंने मूलधन का कम से कम 10 प्रतिशत तक चुका दिया था, उनको लाभान्वित करने के लिए, एलडब्ल्यूएस—2012 लागू की गयी थी (दिसम्बर 2012)। हालांकि, योजना के तर्कों ने राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश (दिसम्बर 2007) का उल्लंघन किया, जिसके द्वारा ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के विरुद्ध जमीन की नीलामी के माध्यम से राजस्व वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी जिनके पास 3.125 एकड़ तक की भूमि हो भले ही उन्होंने ₹ 1 एक लाख तक या अधिक का ऋण लिया हो।

एलडब्ल्यूएस—2012 योजना मात्र ऐसे किसानों को लाभ देने के लिए परिकल्पित की गयी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) से ऋण लिया हो और ऐसे अन्य किसानों को नहीं, जिन्होंने उसी प्रकार के ऋण दूसरे सहकारी एवं पीएसयू बैंकों, ऐसे सहकारी बैंकों सहित जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पास अंशपूंजी का महत्वपूर्ण स्वामित्व था, से लिए थे।

➤ एलडब्ल्यूएस—2012 से लगभग 7.58 लाख छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित हुए, एवं जिससे राजकोष को वर्ष 2012–16 के दौरान ₹ 1,784 करोड़ का व्यय वहन करना पड़ा। 75 जिलों में से 17 जिलों की नमूना लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि लाभ प्राप्त करने वाले किसानों में से तीन से 18 प्रतिशत तक अपात्र थे, क्योंकि उन्होंने मूलधन का निर्धारित न्यूनतम 10 प्रतिशत तक भी जमा नहीं किया था, परिणामतः नमूना जाँच प्रकरणों में ₹ 79.67 करोड़ का लाभ अपात्र लाभार्थियों को मिला।

➤ ब्याज की छूट के लिए निर्दिष्ट तिथि में बदलाव के कारण सरकार को ₹ 138 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा।

➤ सितम्बर 2013 में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा 10 प्रतिशत प्रकरणों में गंभीर अनियमितता का पता लगाने के आधार पर सहकारिता विभाग ने योजना की 100 प्रतिशत आंतरिक लेखापरीक्षा कराये जाने का आदेश दिया (मार्च 2014)। तथापि, वित्त विभाग द्वारा औपचारिक अनुमोदन के अभाव में यह आदेश कभी लागू नहीं किये गये।

➤ एलडब्ल्यूएस—2012 ने योजना संचालन की अवधि (2012–16) के दौरान यूपीएसजीवीबी को लाभप्रद बनने में सक्षम बनाया। अन्य सभी वर्षों में, यूपीएसजीवीबी हानि में था।

➤ योजना के नियोजन एवं निष्पादन में हितों के टकराव अन्तर्निहित थे क्योंकि दिसम्बर 2012 तक प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग ने यूपीएसजीवीबी के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात्, कार्यान्वयन अवधि के दौरान मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग ने बैंक का नेतृत्व किया।

(प्रस्तर 2.1)

- एक ट्रस्ट को पट्टे पर वन भूमि का कब्जा पट्टा अनुबन्ध निष्पादित करने तथा पट्टा प्रीमियम जमा करने के उपरान्त ही सौंपने के शासनादेश (अगस्त 2008) के अनुपालन में वन विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम, पट्टा किराया और उस पर ब्याज, कुल ₹ 81.18 लाख वसूल नहीं हो सके।

(प्रस्तर 2.2)

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ने अतिरिक्त निधि को कम ब्याज वाले बचत बैंक खातों में रखा, परिणामतः ₹ 5.61 करोड़ के ब्याज की हानि हो गयी।

(प्रस्तर 2.3)

- एक फ्रैंचाइजी (टोरन्ट पॉवर लिमिटेड) द्वारा विद्युत शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 का अनुपालन कराने में निदेशालय, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश विफल रहा, परिणामतः विद्युत शुल्क और उस पर ब्याज, कुल ₹ 19.38 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी (मार्च 2017 तक)।

(प्रस्तर 2.4)

भाग—ब: राजस्व क्षेत्र

अध्याय—3: सामान्य

वर्ष 2016–17 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,56,875.15 करोड़ थीं जिसमें से राज्य की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,14,909.99 करोड़ (44.73 प्रतिशत) थीं। भारत सरकार ने ₹ 1,41,965.16 करोड़ (55.27 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें विभाज्य संघीय करों का राज्यांश ₹ 1,09,428.29 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 42.60 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 32,536.87 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 12.67 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक राज्य के अपने कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्य के अंश में वृद्धि हुई।

वित्त विभाग ने प्रशासनिक विभागों के विगत वर्ष के बजट अनुमानों में एकपक्षीय रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि कर दी तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों पर विचार किये बिना ही उसे संगत वर्ष के लिए निश्चित कर दिया। वित्त विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा को बजट पत्रावलियाँ उपलब्ध कराने से मना करने के कारण इस त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारणों का आंकलन नहीं हो सका। इस प्रकार पत्रावलियाँ प्रस्तुत न करना डी०पी०सी० एकट, 1971 की धारा 18(1)(ब) तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 181 में प्रतिष्ठापित भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वित्त विभाग को बजट की तैयारी से सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराना चाहिये तथा बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजटिंग विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

(प्रस्तर 3.2)

31 मार्च 2017 को बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, राज्य आबकारी एवं मनोरंजन कर का बकाया राजस्व ₹ 28,070.32 करोड़ था, जिसमें से ₹ 11,863.23 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाना चाहिए एवं बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी हेतु एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए। विभाग को बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी करना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र एवं प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।

(प्रस्तर 3.3)

अध्याय—4: राज्य आबकारी

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये लोक लेखा समिति के निर्देशों पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 843.16 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 453.91 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 1,297.07 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

(प्रस्तर 4.3)

बोतल बंद बीयर की फुटकर बिक्री के लिये बीयर बार अनुज्ञापन जारी नहीं किये जाने से 2012–13 से 2016–17 के दौरान 720 अनुज्ञापियों के सम्बन्ध में ₹ 13.59 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को सम्बन्धित अधिसूचना में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन करना चाहिये कि वह नियमों के अनुरूप हो जिससे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके। इस प्रक्रिया में यदि यह लगता है कि आबकारी नीति के मौजूदा प्रावधान अलाभकारी हैं, तो विभाग नीति की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

(प्रस्तर 4.4)

विभाग ने वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिये 37.33 लाख बल्क लीटर (बी०एल०) न्यू०प्र०मा० का कम निर्धारण किया। इस प्रकार शासन बेसिक अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.08 करोड़ तथा अनुज्ञापन शुल्क ₹ 78.85 करोड़ से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जिला आबकारी अधिकारी (जिओआ०ओ) देशी मदिरा की दुकानों की न्यू०प्र०मा० का निर्धारण पिछले वर्ष से कम पर आबकारी नीति का उल्लंघन करके न करें।

(प्रस्तर 4.6)

भा०नि०वि०म० की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क से कम किया गया था। इस प्रकार शासन ₹ 3.17 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जिओआओ निरपवाद रूप से भारतीयविभाग की दुकानों के अुज्ज्ञापन शुल्क का निर्धारण आबकारी नीति के अनुसार करें। इस प्रक्रिया में यदि यह लगता है कि आबकारी नीति के मौजूदा प्रावधान अलाभकारी हैं, तो विभाग नीति की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

(प्रस्तर 4.7)

अध्याय—5: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में 37 वाणिज्य कर कार्यालयों (वारकरी) के 46 व्यापारियों के मामले में कर की गलत दर लागू करने एवं माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण धनराशि ₹ 5.75 करोड़ कर का कम/न आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग (वारकरी) को करनीप्राप्त द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों की नमूने के तौर पर यथोचित उच्चस्तरीय आवधिक समीक्षा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने हेतु विचार करना चाहिए।

(प्रस्तर 5.3)

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बावजूद करनीप्राप्त के द्वारा मूल्य संवर्धित कर (वैट) के निर्धारण के मामलों में समुचित सावधानी से कार्य नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 19.28 करोड़ की समान प्रकृति की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को वैट के ऐसे सभी मामलों में जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकृति के समान प्रेक्षण दिखे हों/दिखने की सम्भावना हो, की समीक्षा करनी चाहिए तथा मार्च 2020 तक सभी निर्धारण पूर्ण करने चाहिए।

(प्रस्तर 5.4)

अध्याय—6 (अ): वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संभाव्यता संचालित 9,852 वाहनों पर स्वस्थता शुल्क ₹ 54.28 लाख को आरोपित करने एवं शास्ति ₹ 3.94 करोड़ के आरोपण में विभाग विफल रहा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि परिवहन विभाग को साफ्टवेयर में तंत्र जनित चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना वाहनों के संचालन को रोक सके।

(प्रस्तर 6.3)

परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर सम्भावित संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभार में निरुद्ध 836 माल वाहनों पर कैरिज बाई रोड (सीबीआर) अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति ₹ 1.85 करोड़ भी आरोपित नहीं किया तथा इन अपंजीकृत सामान्य वाहकों पर ₹ 33.44 लाख अर्थदण्ड के आरोपण में भी विफल रहा।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि परिवहन विभाग को अतिभारित माल वाहनों पर सीबीआर अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रस्तर 6.4)

अध्याय-6 (ब): स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

प्रेरणा साफ्टवेयर के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 2.93 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 32.14 करोड़ में गलत ढंग से निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 134.57 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.05 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को सम्पत्ति का सही मूल्यांकन और प्रेरणा साफ्टवेयर का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रस्तर 6.9)

अध्याय-7: खनन प्राप्तियाँ

खनन विभाग ने सिविल कार्य करने वाले 1,181 ठेकेदारों, जिन्होंने प्रपत्र एम0एम0-11 प्रस्तुत नहीं किये थे, से देय खनिज मूल्य की धनराशि ₹ 191.02 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.95 करोड़ वसूल नहीं किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि ठेकेदारों द्वारा प्रपत्र एम0एम0-11 का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने हेतु खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

(प्रस्तर 7.3)

बिना पर्यावरण मंजूरी (प0म0) के 4.31 लाख घनमीटर उपखनिजों के उत्खनन के लिये चार पट्टाधारकों से उत्खनित खनिजों का मूल्य ₹ 33.75 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को अवैध खनन को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक पर्यावरण मंजूरी के बिना खनिजों का उत्खनन न किया जाए।

(प्रस्तर 7.4.1)

बिना प0म0 के संचालित 1,131 ईंट भट्टों से खनिज मूल्य के बराबर शास्ति की धनराशि ₹ 62.27 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना चाहिए तथा बिना पर्यावरण मंजूरी के ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिये शास्ति की वसूली करनी चाहिये।

(प्रस्तर 7.4.2)

पट्टाधारक ने अनुमोदित खनन योजना के बिना 2.06 लाख घनमीटर बालू/मोरम का उत्खनन किया था जिसके लिये उससे ₹ 7.71 करोड़ वसूल किया जाना था।

(प्रस्तर 7.6.1)

पट्टाधारक ने अनुमोदित खनन योजना से अधिक 44,928 घनमीटर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर का उत्खनन किया जिसके लिये उससे ₹ 3.59 करोड़ वसूल किया जाना था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदित खनन योजना में अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन न किया जाए।

(प्रस्तर 7.6.2)

भाग ‘अ’

आर्थिक क्षेत्र

अध्याय—१

प्रस्तावना

(आर्थिक क्षेत्र)

अध्याय-1

प्रस्तावना


1.1 इस अध्याय के सम्बन्ध में

यह अध्याय लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यय की प्रवृत्ति, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गयी वसूलियाँ एवं स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति दर्शाता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश में कुल 84 में से 18 विभाग आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा इन विभागों का नेतृत्व किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति लेखाचित्र-1 में दर्शायी गयी है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन)

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1
आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

विभाग	2014-15	2015-16	2016-17
ऊर्जा	25,949.15	48,218.81	33,976.69 ¹
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	2,940.97	3,080.27	6,296.11 ²
आवास एवं शहरी नियोजन	1,352.97	2,213.97	2,888.06
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,567.23	2,495.16	2,721.56
वन	775.94	840.46	1,231.72

(स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोजन खाते)

¹ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के लिये 2015-16 में ₹ 24,232.47 करोड़ एवं 2016-17 में ₹ 14,801.29 करोड़ व्यय किये गये।

² पूर्वान्वय एक्सप्रेसवे के लिए 2016-17 में ₹ 2,882.25 करोड़ निर्गत किये गये।

1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2016–17 के दौरान, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र से संबंधित 18 विभागों के अंतर्गत कुल 483 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 156 की अनुपालन लेखापरीक्षा की।

1.4 लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरण में अवसर प्रदान करता है, जैसे,

- **लेखापरीक्षा ज्ञापन :** लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किये जाते हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) :** लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अंदर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अंदर प्रत्युत्तर देना होता है।
- **ड्राफ्ट पैराग्राफ :** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अंतर्गत लेखापरीक्षित इकाईयां कार्य करती हैं, को छह सप्ताह के अंदर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।
- **समापन गोच्छी :** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभागाध्यक्षों एवं राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों/विभाग प्रमुखों/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा ठोस/स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालांकि, ज्यादातर प्रकरणों में लेखापरीक्षित इकाईयां/विभाग समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

1.4.1 निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)

18 विभागों से संबंधित 483 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को मार्च 2017 तक जारी नि.प्र. की विस्तृत समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2018 तक ठोस प्रत्युत्तर की प्रत्याशा में 1,501 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 5,396 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, 134 नि.प्र. में शामिल 543 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डी.डी.ओ. द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जबकि 1,367 नि.प्र. में शामिल 4,853 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डी.डी.ओ. की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

लंबित नि.प्र. की स्थिति तालिका 1.2 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2

लंबित नि.प्र. एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2017 तक जारी) की 31 मार्च 2018 को स्थिति

क्र.सं.	अवधि	लंबित नि.प्र. की संख्या (प्रतिशत)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2016-17	125 (8)	532 (10)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	277 (19)	1,411 (26)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	334 (22)	1,164 (22)
4	5 वर्षों से अधिक	765 (51)	2,289 (42)
	कुल	1,501	5,396

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

वर्ष 2016–17 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की 28 बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) आयोजित की गई, जिनमें 11 नि.प्र. और 274 प्रस्तरों का निराकरण किया गया।

1.4.2 निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाएं

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 के लिए, चार लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर प्रारूप प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेषित किये गये थे। जबकि तीन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर उत्तर/प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं, एक लेखापरीक्षा प्रस्तर का प्रत्युत्तर बार-बार स्मरण कराने के बावजूद अगस्त 2018 तक प्राप्त नहीं हुआ।

1.5 विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

1.5.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किया था (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका 1.3 में दी गयी है।

**तालिका 1.3
अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ³ (31 अगस्त 2018 तक)**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र/गैर पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (नि.ले.)/ अनुपालन लेखापरीक्षा (अ.ले.) एवं प्रस्तर	नि.ले./अ.ले. एवं प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई		
		नि.ले./अ.ले.	प्रस्तर	नि.ले./अ.ले.	प्रस्तर
2012-13	1 जुलाई 2014	2	6	2	0
2013-14	17 अगस्त 2015	2	5	1	2
2014-15	8 मार्च 2016	4	4	4	4
2015-16	18 मई 2017	2	4	2	4
योग		10	19	9	10

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

1.5.2 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 29 लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रस्तुत किये गये। इनमें से लो.ले.स. ने पाँच प्रस्तर विचार विमर्श और पाँच प्रस्तर लिखित उत्तर के लिए चुने। हालांकि, इन विचार-विमर्श किये गये प्रस्तरों के सम्बन्ध में कोई कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेक्न नोट) प्राप्त नहीं हुई है। अगस्त 2018 को लो.ले.स. के साथ विचार-विमर्श की विस्तृत स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है :

³ वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/गैर परम्परागत ऊर्जा विभाग, पर्यावरण, पर्यटन व सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग।

तालिका 1.4

लो.ले.स., उत्तर प्रदेश, विधानसभा द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लिए आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	29
लो.ले.स. द्वारा विचारविमर्श हेतु लिए गए (मौखिक चर्चा)	05
लो.ले.स. द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिए गए	05
लो.ले.स. द्वारा की गई अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत—कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	अप्राप्त

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

1.6 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गयी वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों में तीन प्रकरणों में ₹ 18.19 करोड़ इंगित की गयी वसूली स्वीकार कर ली गयी। इनमें से तीन प्रकरणों में ₹ 24.86 करोड़ की वसूली 01 अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान सम्पन्न कर ली गयी जैसा कि तालिका 1.5 में वर्णित है।

तालिका 1.5

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभाग द्वारा स्वीकार/वसूल कर ली गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूली का विवरण	01 अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित एवं विभाग द्वारा स्वीकृत की गई वसूलियाँ		01 अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान सम्पन्न वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि
वन विभाग	विविध	3	18.19	3	24.86
	योग	3	18.19	3	24.86

(स्रोत: प्रगति रजिस्टर के अनुसार)

1.7 राज्य विधानमण्डल में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों की एक बड़ी संख्या में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा इनके लेन—देन, परिचालन सम्बन्धी गतिविधियों एवं लेखों, नियामक/अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबन्धन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा, इत्यादि के सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा की जाती है। इन स्वायत्त निकायों के शासी अधिनियमों/सरकारी आदेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन निकायों के लेखों एवं लेन—देनों के सम्बन्ध में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया जाना है और उसे सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल में रखा जाना है। राज्य में दो स्वायत्त निकायों⁴ के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है।

⁴ उ0प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत किये गये वर्ष 2003–04 से 2015–16 की अवधि के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प्र.) अभी भी (अगस्त 2018) विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हैं (तालिका 1.6)।

तालिका 1.6

राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत की जाने वाले लम्बित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	स्वायत्त निकाय के नाम	वर्ष जब तक पृ.ले.प्र. विधानमण्डल में प्रस्तुत किया गया	विधानमण्डल में प्रस्तुत नहीं की गई पृ.ले.प्र. की स्थिति		पृ.ले.प्र. के न रखे जाने के कारण
			पृ.ले.प्र. के वर्ष	शासन को निर्गत करने की तिथि	
1	2	3	4	5	6
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उ.प्र.वि.नि.आ.)	स्थापना (2003–04) से कोई भी पृ.ले.प्र. विधानमण्डल में नहीं रखा गया।	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	19 अक्टूबर 2006 5 अक्टूबर 2007 5 अक्टूबर 2007 3 अक्टूबर 2008 17 अगस्त 2009 15 अगस्त 2010 26 मई 2011 08 जून 2012 24 सितम्बर 2014 20 फरवरी 2015 22 जून 2015 28 दिसम्बर 2015 08 मई 2017	कारण उपलब्ध नहीं कराये गये।

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

शीघ्रातिशीघ्र इनको राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखना आवश्यक है ताकि इन निकायों को हस्तान्तरित किये गये कोष के लिए विधायी जिम्मेदारी स्थापित की जा सके।

अध्याय—2

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

(आर्थिक क्षेत्र)

अध्याय—2

अनुपालन लेखापरीक्षा

विभिन्न सरकारी विभागों, उनके क्षेत्रीय संगठनों और स्वायत्त निकायों के लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के आधार पर, संसाधनों के प्रबंधन में कमियों एवं औचित्य व मितव्ययिता के मानदण्डों के पालन में विफलताओं को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा प्रेक्षण आगामी प्रस्तरों में विस्तृत रूप से दिए गए हैं।

सहकारिता विभाग

2.1 ऋण माफी योजना, 2012 की परिकल्पना एवं कार्यान्वयन

इस योजना के पीछे का तर्क प्रश्नीय था क्योंकि यह उन किसानों पर लागू थी जिन्होंने यूपीएसजीवीबी के पास अपनी जमीन गिरवी थी। हालांकि ऋण वसूली के लिए भूमि की नीलामी की प्रथा वर्ष 2007 से बन्द की जा चुकी थी। अतः, योजना का उद्देश्य अन्य बैंकों को छोड़कर यूपीएसजीवीबी को लाभान्वित करना था।

बजट भाषण (जून 2012) के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी जोकि वित्त विभाग के भी मंत्री थे, ने एक ऋण माफी योजना की घोषणा की, जिसमें ऐसे किसानों, जिन्होंने अपनी जमीन को एक निश्चित धनराशि तक ऋण के विरुद्ध बंधक रख दिया था, और अपना ऋण चुकाने में असमर्थ थे, जिससे उनकी भूमि की नीलामी की स्थिति बन सकती थी, को राहत प्रदान की जायेगी, जिसके लिए ₹ 500 करोड़ का प्रारम्भिक प्रावधान किया गया था। तदनुसार, राज्य मंत्रिमण्डल ने 22 नवंबर 2012¹ को एक ऋण माफी योजना (एलडब्ल्यूएस 2012) को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों, जिन्होंने ₹ 50,000 तक का ऋण लिया था, और लिये गये ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत तक मूलधन² 31 मार्च 2012 तक जमा कर दिया था, उनके मूलधन एवं ब्याज को माफ करने हेतु ₹ 1,650 करोड़ का प्रावधान किया गया। मंत्रिमण्डल की मंजूरी ने निर्दिष्ट किया कि यह ₹ 1,650 करोड़³ की धनराशि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) को जारी की जायेगी। इसलिए यह स्पष्ट है कि मंत्रिमण्डल की स्वीकृति केवल उन किसानों के लिए लागू थी जिन्होंने अपनी जमीन यूपीएसजीवीबी के पास बंधक रखी थी। मंत्रिमण्डल हेतु टिप्पणी प्रस्तुत करने के पूर्व, सरकारी विभागों⁴ की बैठकों के कार्यवृत्त बताते हैं कि मात्र यूपीएसजीवीबी कृषि भूमि को ऋण के विरुद्ध बंधक रखता है। दूसरे शब्दों में इस योजना का उद्देश्य अन्य बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों⁵ सहित), जिन्होंने भी छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान किया था एवं इन ऋणों की भी अदायगी खतरे में होने के परिणामस्वरूप वसूली की कार्यवाही होनी थी, की अनदेखी कर यूपीएसजीवीबी को लाभान्वित करना था। यूपीएसजीवीबी के पक्ष में इस तरह के पूर्वाग्रह के प्रयोजन अभिलेखों में दर्ज नहीं है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में ही ऐसे किसानों, जिनके पास 3.125 एकड़ तक जमीन हो, उनके विरुद्ध भूमि की नीलामी के माध्यम से ऋण की वसूली की कार्यवाही प्रतिबंधित कर दी थी (सितम्बर 2007), भले ही उन्होंने ₹ एक लाख तक या अधिक का ऋण लिया हो। इसलिए, इस योजना का तर्क प्रश्नीय है।

¹ जो कि सहकारिता विभाग उ0प्र० सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2012 को प्रारम्भ की गई।

² इस शर्त को बाद में संशोधित कर (अप्रैल 2013) सरकारी सहायता अनुदान, पूर्व में दी गयी ऋण माफी, लाभांश एवं बीमा दावों को शामिल कर लिया गया।

³ उ0प्र० सरकार ने बाद में इस सीमा को बढ़ाकर ₹ 1,788 करोड़ कर दिया (सितम्बर 2014 से मई 2015)।

⁴ मुख्य सचिव, उ0प्र० सरकार, प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, प्रमुख सचिव, राजस्व, प्रमुख सचिव-II, वित्त, विशेष सचिव, सहकारिता, प्रबंध निदेशक, यूपीएसजीवीबी, अतिरिक्त निदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा दिनांक 31.05.2012 को भाग लिया गया।

⁵ इसमें 52 जिला सहकारी बैंक शामिल हैं जिनकी प्रदत्त अंशपूँजी की 90.74 प्रतिशत धनराशि उ0प्र० सरकार द्वारा निवेशित है। (स्रोत : उ0प्र० सरकार के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)।

यह योजना मई 2015 तक यूपीएसजीवीबी को ₹ 1,788 करोड़ अवमुक्त करने के साथ पूर्ण कर ली गयी, जिसके विरुद्ध 7,58,579 लाभार्थियों के संबंध में ₹ 1,783.79 करोड़⁶ के ऋण माफ किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य के 75 जिलों में से 17 जिलों की नमूना जाँच की गयी जहाँ आयुक्त व निबंधक के कार्यालयों के मुख्यालय सहित, एवं सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक (एसी एण्ड एआर) / संयुक्त आयुक्त व संयुक्त निबंधक (जेसी एण्ड जेआर) के कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी। राज्य में 17 चयनित जिलों में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) की कुल 395 शाखाओं (7,58,579 उधारकर्ताओं) में से 91 शाखाओं (1,95,524 उधारकर्ताओं) की सूचनाओं/अभिलेखों की भी नमूना जाँच एसी एण्ड एआर/जेसी एण्ड जेआर के कार्यालय के माध्यम से की गयी थी।

मुख्यतः चार प्रेक्षण हैं, एवं उनमें से अधिकतर ऐसी प्रकृति के हैं जोकि अन्य जिलों/यूपीएसजीवीबी की शाखाओं में समान त्रुटियों/चूकों को प्रतिबिंబित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किये गए। इसीलिए विभाग यूपीएसजीवीबी की अन्य सभी शाखाओं की आंतरिक जाँच करा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया सके कि वे आवश्यकताओं एवं नियमों का अनुपालन करते हैं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियों को देखा।

- ✓ यह योजना केवल उन ऋणों पर लागू थी, जो कि 31 मार्च 2012 के पूर्व विद्यमान थे। तथापि, लेखापरीक्षा नमूना जांच में ऐसे ऋणों की माफी के उदाहरण⁷ भी पाये गए जोकि यूपीएसजीवीबी द्वारा जनवरी 2012 से मार्च 2012 के दौरान वितरित किये गये थे। इस तरह की माफी ने मंत्रिमण्डल की स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया, क्योंकि ऋण लेने के तीन माह के अन्दर यह आंकलन करना संभव नहीं था कि ऋण पुनर्भुगतान न किये जाने के जोखिम के अन्तर्गत थे जिससे किसानों की बंधक भूमि की आपात बिक्री की स्थिति बने। विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि यूपीएसजीवीबी ने ऐसे ऋणों, जोकि योजना के अन्तर्गत नहीं थे, को माफ करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं किया।

कट-ऑफ तिथि में संशोधन के कारण राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त भार

प्रारम्भिक रूप से राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित योजना मात्र 31 मार्च 2012 तक अवशेष मूलधन एवं उस पर ब्याज को माफ करने हेतु बनायी गयी थी। यूपीएसजीवीबी के अनुरोध पर (फरवरी 2013/अप्रैल 2013), विभाग ने (अप्रैल 2013) कट-ऑफ तिथि में संशोधन कर ब्याज की माफी को मार्च 2012 के स्थान पर उ0प्र० सरकार द्वारा यूपीएसजीवीबी को धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि तक कर दिया। तदनुसार, उ0प्र० सरकार ने यूपीएसजीवीबी को ₹ 138 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भुगतान की। लेखापरीक्षा ने पाया कि किश्तों को विलंब से अवमुक्त करने के लिए यूपीएसजीवीबी स्वयं जिम्मेदार था, क्योंकि उसके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (जोकि आगामी किश्तों को जारी करने के लिए अनिवार्य थे) एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिये गये हैं:

ब्याज की माफी की कट-ऑफ तिथि को परिवर्तित करने के कारण, सरकार को ₹ 138 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज वहन करना पड़ा।

⁶ जून 2018 तक यूपीएसजीवीबी से ₹ 4.21 करोड़ की धनराशि वापसी हेतु लम्बित है।

⁷ ₹ 20.40 लाख धनराशि की माफी के 97 प्रकरण।

तालिका 2.1

यूपीएसजीवीबी द्वारा धनराशि अवमुक्त करने एवं उसके उपयोग का विवरण

तिथि	धनराशि (₹ करोड़ में)	धनराशि अवमुक्त करने के बीच समयान्तर	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
17.01.2013	450.00		19.02.2013	
30.03.2013	450.00	2 माह	22.06.2013	03.09.2013
04.09.2013	375.00	5 माह	10.07.2014	
22.11.2013	375.00	2 माह	10.07.2014	
10.09.2014	129.00	10 माह	04.04.2015 (₹ 70.42 करोड़) 03.02.2017 (₹ 58.58 करोड़)	
27.05.2015	9.00	8 माह	27.04.2017 (₹ 5.12 करोड़)	

(स्रोत: सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उत्तर में सरकार ने कहा (जून 2018) कि यदि कट-ऑफ तिथि को परिवर्तित नहीं किया गया होता तो ऋण खाते बन्द नहीं होते तथा योजना का उद्देश्य विफल हो जाता। पहले से ही ऊपर दिये गये कारणों से उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा कट-ऑफ तिथि में इस संशोधन के परिणामस्वरूप यह कभी समाप्त न होने वाली योजना बन गयी क्योंकि यूपीएसजीवीबी ने तब तक ऋणों पर ब्याज लगाया जब तक कि ऋण समाप्त नहीं हो गये।

अपात्र लाभार्थियों को ऋण माफी का लाभ

यद्यपि इस योजना में निर्धारित किया गया कि उन किसानों, जिन्होंने मूलधन⁸ का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान कर दिया था, को योजना में आच्छादित किया जाएगा परन्तु यूपीएसजीवीबी ने 10 प्रतिशत की सीमा में ब्याज के भुगतान को भी शामिल कर लिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सहकारिता विभाग द्वारा इस विषय पर जारी किये विशिष्ट स्पष्टीकरण (अप्रैल 2013) के विपरीत था। नमूने के 17 जिलों की लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि परिणामस्वरूप ₹ 79.67 करोड़ का लाभ तीन से 18 प्रतिशत अपात्र लाभार्थियों (16,184 ऋणी) को दिया गया था, जिन्होंने ऋण के मूलधन का 10 प्रतिशत से कम भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यूपीएसजीवीबी द्वारा तैयार की गई लाभार्थियों की सूची के सत्यापन हेतु गठित जिला स्तरीय समितियाँ⁹ लाभार्थियों की सूची को सत्यापित करने एवं उनकी पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन करने में विफल रहीं हैं। यदि ऐसा कर लिया जाता तो अपात्र लाभार्थी योजना से लाभान्वित नहीं हो पाते।

अपने उत्तर में विभाग ने कहा (जून 2018) कि लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए ब्याज के भुगतान को शामिल करना योजना के अनुसार था। ऊपर दिये गये तथ्य की वजह से उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

ऋण माफी योजना की 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा कराने के आदेशों का गैर-अनुपालन

प्रारम्भिक रूप से, योजना में ऋण माफी योजना के 10 प्रतिशत अभिलेखों की लेखापरीक्षा मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा जून 2015 तक किया जाना प्रावधानित था। चूंकि प्रारम्भिक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने यूपीएसजीवीबी द्वारा योजना के कार्यान्वयन में ₹ 4.76 करोड़

⁸ अप्रैल 2013 के उ0प्र0 सरकार के आदेश द्वारा संशोधित परिभाषा (फुटनोट 2 संदर्भित करता है)।

⁹ सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), एसी एण्ड एआर (सहकारिता) और प्रबंध निदेशक, यूपीएसजीवीबी द्वारा नामित यूपीएसजीवीबी के एक अधिकारी को समिलित करके।

यूपीएसजीवीबी की लेखापरीक्षा में गंभीर आपत्तियाँ पाये जाने के कारण, विभाग द्वारा 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा का आदेश दिया गया था, जोकि चार साल से अधिक समय के बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया था।

की गम्भीर विसंगतियों¹⁰ को चिन्हांकित किया (सितम्बर 2013), विभाग ने आयुक्त एवं निबंधक (सी एण्ड आर) को योजना की 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा सुनिश्चित कराने का आदेश दिया (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा ने पाया कि चार वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी (जून 2018) शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस लेखापरीक्षा को कराये जाने में विफलता के लिए वित्त विभाग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जोकि सहकारिता विभाग के लगातार अनुसरण के बाद भी औपचारिक स्वीकृति देने में विफल रहा।

योजना के माध्यम से यूपीएसजीवीबी को सहायता

✓ लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के कार्यान्वयन की अवधि को छोड़ कर (2012–13 से 2015–16) यूपीएसजीवीबी वर्ष 2011–12 एवं 2016–17 के दौरान हानि में था, जैसा कि तालिका 2.2 से स्पष्ट है:

तालिका 2.2
यूपीएसजीवीबी का वर्षवार लाभ/हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	ऋण	4,359.37	4,244.04	3,962.74	3,679.03	3,967.67	3,948.47
	वसूली	669.02	1,188.45	1,151.34	571.66	474.97	375.31
	समायोजन	0.02	0.02	0	48.21	0.07	0.03
	अवशेष धनराशि	3,690.03	3,055.56	2,811.40	3,059.17	3,492.61	3,573.13
2	ऋण पर अर्जित ब्याज	295.62	562.62	602.58	353.93	271.31	193.03
3	वर्ष के लिए लाभ	-64.87	81.79	18.11	20.00	15.16	-26.96

(नोट: सहकारिता विभाग के माध्यम से यूपीएसजीवीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इससे यह स्पष्ट है कि इस योजना ने विशेष रूप से यूपीएसजीवीबी की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है।

✓ लेखापरीक्षा ने पाया कि इस योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन में हितों के टकराव अन्तर्निहित थे क्योंकि दिसम्बर 2012 तक प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग ने यूपीएसजीवीबी के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात्, कार्यान्वयन अवधि के दौरान मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग ने बैंक¹¹ का नेतृत्व किया।

उत्तर में, सरकार ने अवगत कराया (जून 2018) कि योजना के उद्देश्यों को छोटे एवं सीमांत किसानों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था जिन्होंने कृषि भूमि को बंधक रखकर ₹ 50,000 तक का ऋण लिया था, न कि यूपीएसजीवीबी की सहायता के लिए। उपरोक्त दिये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है।

¹⁰ ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणना: ₹ 13,35,073; बही-लेखों तथा लाभार्थी सूची में दिखाये गये मूल-शेषों में अन्तर: ₹ 6,90,134; अपात्र किसानों को दी गयी माफी का लाभ: ₹ 38,33,437; लाभार्थी सूची में किसानों के नाम दुबारा शामिल किया जाना: ₹ 6,14,201; उन्हीं किसानों को दो खातों में ऋण माफी का लाभ दिया जा रहा था: ₹ 6,87,684; अन्य अनियमिततायें: ₹ 1,02,19,586; ₹ 2.99 करोड़ की धनराशि जोकि 31.03.2012 के बाद किसानों द्वारा पुनर्भुगतान की गयी, बैंक द्वारा किसानों को वापसी हेतु दिखाया था परन्तु यह वापसी हेतु लंबित था; और ₹ 3.05 लाख, 31.03.2012 के बाद किसानों द्वारा पुनर्भुगतान की गयी धनराशि, जिसे बैंक द्वारा किसानों को वापसी हेतु नहीं दिखाया गया था।

¹¹ सितंबर 2007 से जनवरी 2013 के मध्य, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग ने प्रशासक, यूपीएसजीवीबी का प्रभार संभाला क्योंकि इस अंतरिम अवधि के दौरान यूपीएसजीवीबी में कोई भी चुनाव नहीं हुआ था।

वन विभाग

2.2 प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली न होने के कारण हानि

शासनादेश का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम, पट्टा किराया और ब्याज, कुल ₹ 81.18 लाख की वसूली न हो पाना।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रह्मवेत्ता श्री देवरहा हंस बाबा द्रस्ट (पट्टेदार) को मिर्जापुर जिले में पाँच हेक्टेयर वन भूमि 30 वर्ष के लिये पट्टे पर आश्रम के निर्माण के लिए दी (अगस्त 2008)। लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2017) कि :

- शासनादेश में वर्णित होने के बावजूद वन विभाग ने पट्टेदार के साथ पट्टा विलेख आज तक निष्पादित नहीं किया है।
- यद्यपि शासनादेश में यह निर्धारित था कि भूमि के मूल्य, जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर पर निश्चित किया जायेगा, के बराबर प्रीमियम पट्टेदार द्वारा जमा करने के उपरान्त ही भूमि पर कब्जा दिया जायेगा, फिर भी पट्टेदार भूमि मूल्य का भुगतान किये बिना ही भूमि पर काबिज है।
- शासनादेश में प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत वार्षिक पट्टा किराया लगाया जाना प्रावधानित होने के बावजूद पट्टेदार पर आज तक कोई पट्टा किराया नहीं लगाया गया।
- प्रभाग ने भूमि के हस्तान्तरण के बाद से तीन साल (2008 से 2010) के लिये प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली के लिये जिलाधिकारी (डी०एम०) को एक वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया (जनवरी 2011)। हालाँकि, प्रभागीय वनाधिकारी (डी०एफ०ओ०) ने प्रकरण को शासन स्तर पर विचाराधीन बताते हुए डी०एम० से वसूली पर आगे कार्यवाही न करने का अनुरोध किया (मार्च 2011)।

पट्टा विलेख अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है (अगस्त 2018), तथा प्रीमियम, पट्टा किराया और उन पर ब्याज के कारण कुल ₹ 81.18 लाख¹² वसूल होने से रह गये हैं। भविष्य में यह प्रतिवर्ष बढ़ता रहेगा।

शासन/विभाग ने उत्तर में यह कहा (नवम्बर/दिसम्बर 2017) कि वसूली प्रक्रिया को रोकने का प्रभाग का निर्णय नियमों के अनुसार नहीं था तथा, इसलिए, प्रीमियम एवं पट्टा किराया की वसूली पुनः आर०सी० के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित वन संरक्षक तथा डी०एफ०ओ० को निर्देश दे दिये गये हैं। तथ्य यह है कि प्रभाग ने पट्टा विलेख हस्ताक्षरित किये बिना तथा प्रीमियम व पट्टा किराया का भुगतान सुनिश्चित किये बिना भूमि का हस्तान्तरण कर दिया। इस प्रकार, प्रभाग राज्य सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन के अपने कथनानुसार डी०एफ०ओ० ने आर०सी० को वापस लेकर अनियमित रूप से काम किया, फिर भी उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

अनुशंसा:

विभाग को पट्टेदार द्वारा प्रीमियम एवं पट्टा किराये का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग को डी०एफ०ओ० द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर भी विचार करना चाहिए।

¹² प्रीमियम: ₹ 26.88 लाख, वर्ष 2008 से 2017 तक 9 वर्षों के लिये पट्टा किराया: ₹ 24.21 लाख, ₹ 20.18 लाख की प्रीमियम पर ब्याज की हानि, और ₹ 9.91 लाख के पट्टा किराया पर ब्याज की हानि (जिस दर पर राज्य सरकार केन्द्र सरकार से उधार लेती है उसी दर पर गणना की गयी है)

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

2.3 ब्याज की परिहार्य हानि

आटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण यूपीनेडा को ₹ 5.61 करोड़ की ब्याज हानि।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभियान (यूपीनेडा) ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान वृहद् कोष भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त किया जिसे चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर वाले तीन¹³ बचत बैंक खातों में रखा गया था। अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान, यूपीनेडा ने तीनों बचत बैंक खातों में अत्यधिक निष्क्रिय शेष बनाये रखा जो कि ₹ 80.99 करोड़ से ₹ 479.95 करोड़ के बीच था¹⁴। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीनेडा आटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाकर 5.25 से 6 प्रतिशत तक ब्याज अर्जित कर सकता था, परन्तु ऐसा न करने के कारण यूपीनेडा को अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 5.61 करोड़ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण का अनुपालन करते हुए यह सूचित किया (सितम्बर 2017/दिसम्बर 2017) कि इन बैंकों को आटो-स्वीप सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

ऊर्जा विभाग

2.4 विद्युत शुल्क की वसूली न हो पाना

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कराने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क और उस पर ब्याज, कुल ₹ 19.38 करोड़ की वसूली न हो सकी।

उ0प्र0 विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 (अधिनियम) लाइसेन्स धारकों को उपभोक्ताओं को बेची गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क (ई0डी0) लगाने तथा निर्धारित समय¹⁵ के भीतर उसे राज्य सरकार के पास भेजने के लिये निर्देशित करता है। ऐसा करने में विफलता लाइसेन्स धारकों को 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी बनाता है। न भुगतान किये गए विद्युत शुल्क और दण्डात्मक ब्याज भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निदेशक, विद्युत सुरक्षा को विद्युत निरीक्षक के रूप में दर्शाया गया है। विद्युत (शुल्क) नियम, 1952 की शर्तों के अनुसार, निदेशालय को लाइसेन्स धारकों द्वारा भुगतान की गई ई0डी0 की निगरानी तथा सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल सौंपी गयी है।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डी0वी0वी0एन0एल0) ने 20 वर्षों की अवधि के लिए वितरण फ्रेंचाइजी (डी0एफ0) के रूप में आगरा शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिये टोरण्ट पॉवर लिमिटेड (टी0पी0एल0) के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित किया (मई 2009)।

¹³ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (खाता सं.-2185286335), इलाहाबाद बैंक (खाता सं.-200107286631) तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (खाता सं.-10070353437)।

¹⁴ ₹18.06 करोड़ से ₹ 92.15 करोड़ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में, ₹ 41.53 करोड़ से ₹ 181.20 करोड़ इलाहाबाद बैंक में तथा ₹ 9.06 करोड़ से ₹ 232.75 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में।

¹⁵ जिस माह में मीटर रीडिंग रिकार्ड की गई है उसके अन्त से दो माह के भीतर, जैसा कि नियमों में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबन्ध, ₹०डी० अधिनियम का उल्लंघन करता है क्योंकि यह टी०पी०एल० को ग्राहकों से वसूली के उपरान्त ₹०डी० भुगतान के लिये अनुमति देता है न कि बिक्री के समय। टी०पी०एल० ने अप्रैल 2010 से मार्च 2017 के दौरान राज्य सरकार को देय ₹ 285.42 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 273.01 करोड़ की ₹०डी० जमा की। ₹ 8.50 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज के विरुद्ध टी०पी०एल० ने केवल ₹ 1.53 करोड़ भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.38 करोड़ (₹ 12.41 करोड़ न भुगतान की गयी ₹०डी० और ₹ 6.97 करोड़ ब्याज) वसूल होने से रह गये।

निदेशालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2017) कि टी०पी०एल० ने उपभोक्ताओं को बेची गयी विद्युत के आधार पर ₹०डी० का भुगतान करने हेतु, जैसा कि अधिनियम में प्रावधानित है, अनुबन्ध में संशोधन से सहमत होने से इंकार कर दिया (अक्टूबर 2011)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विधायिका के अधिनियम के विरुद्ध कोई अनुबन्ध नहीं हो सकता है। जब राज्य की डिस्काम्स निरपवाद रूप से बिक्रीत ऊर्जा के आधार पर विद्युत शुल्क जमा कर रही हैं, तब एक डिस्काम की फ्रेंचाइजी इससे अन्यथा कृत्य नहीं कर सकती।

प्रकरण को विभाग के संज्ञान में लाया गया (अगस्त 2017); लेकिन सितम्बर 2017 और जनवरी 2018 को उन्हें भेजे गए अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

भाग ‘ब’
राजस्व क्षेत्र

अध्याय—३

सामान्य

(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय–3: सामान्य

3.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उगाही गई प्राप्तियों के रुझान एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पृष्ठभूमि के विरुद्ध संग्रह के लिए लम्बित बकाये कर के विहंगावलोकन को प्रदर्शित करता है।

3.2 प्राप्तियों का रुझान

3.2.1 वर्ष 2016–17 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आबंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी अँकड़े सारणी–3.1 में दर्शाये गये हैं।

सारणी–3.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

क्र0सं0	विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	(₹ करोड़ में)
1.	राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व						
	• कर राजस्व	58,098.36	66,582.08	74,172.42	81,106.26	85,965.92	
	• करेतर राजस्व	12,969.98	16,449.80	19,934.80	23,134.65	28,944.07	
	योग	71,068.34	83,031.88	94,107.22	1,04,240.91	1,14,909.99	
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ						
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	57,497.86	62,776.70	66,622.91	90,973.69	1,09,428.29 ¹	
	• सहायता अनुदान	17,337.79	22,405.17	32,691.47	31,861.34	32,536.87	
	योग	74,835.65	85,181.87	99,314.38	1,22,835.03	1,41,965.16	
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	1,45,903.99	1,68,213.75	1,93,421.60	2,27,075.94	2,56,875.15	
4.	3 से 1 की प्रतिशतता	49	49	49	46	45	


(स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे)

राज्य के अंश में 10 प्रतिशत की वृद्धि (32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत) करने की 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन (2015–16) के क्रम में केन्द्रीय करों में राज्य के अंश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2016–17 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशत के रूप में चार्ट–3.1 में प्रदर्शित किया गया है।

¹ विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'अ–कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेख शीर्ष–0021–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुद्रेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के अँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

चार्ट-3.1



3.2.2 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण सारणी-3.2 में दिये गये हैं।

सारणी-3.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)									
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	की तुलना में वर्ष 2016–17 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	2016–17 के बजे 2015–16 के वास्तविक	
		ब030 वास्तविक							
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	38,492.18 34,870.16	43,936.00 39,645.45	47,497.92 42,931.54	52,670.69 47,692.40	57,940.30 51,882.88	(-) 10.45 (+)	8.79	
2	राज्य आबकारी	10,068.28 9,782.49	12,084.00 11,643.84	14,500.00 13,482.57	17,500.00 14,083.54	19,250.00 14,273.49	(-) 25.85 ² (+)	1.35	
3	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	9,308.00 8,742.17	10,555.00 9,520.92	12,722.67 11,803.34	14,836.00 12,403.72	16,319.60 11,564.02	(-) 29.14 ³ (-)	6.77	
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,093.90 2,993.96	3,713.00 3,442.01	3,950.00 3,797.58	4,658.00 4,410.53	5,123.80 5,148.37	(+)	0.48 (+)	
5	अन्य ⁴	1,094.68 1,709.58	1,905.00 2,329.86	2,327.34 2,157.39	2,250.31 2,516.07	2,622.80 3,097.16	(+)	18.09 (+)	
	योग	62,057.04 58,098.36	72,193.00 66,582.08	80,997.93 74,172.42	91,915.00 81,106.26	1,01,256.50 85,965.92	(-)	15.10 (+)	
								5.99	

(स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान)


वर्ष 2016–17 में कर राजस्व के अलग-अलग विवरण को चार्ट-3.2 में प्रदर्शित किया गया है।

² सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसम्बर 2016 के आलोक में दुकानों को राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से 500 मीटर दूर स्थानन्तरित किये जाने से अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क प्राप्त न होने के कारण कमी आयी।

³ विमुद्रीकरण के बाद अचल सम्पत्तियों के लेन-देन में गिरावट के कारण कमी आयी।

⁴ निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू-राजस्व, होटल प्राप्ति कर, मनोरंजन कर एवं दाँव कर।

चार्ट-3.2



3.2.3 2012–13 से 2016–17 की अवधि दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण सारणी-3.3 में दर्शाये गये हैं।

**सारणी-3.3
उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण**

क्र० सं०	राजस्व शीर्ष							(₹ करोड़ में)	
		ब०30 वास्तविक	ब०30 वास्तविक	ब०30 वास्तविक	ब०30 वास्तविक	ब०30 वास्तविक	2016–17 के ब०30	2015–16 के वास्तविक	
1	विविध सामान्य सेवाएं	3,264.23 4,494.11	2,970.98 3,194.28	4,037.81 6,400.41	4,774.00 4,949.22	4,220.61 4,460.40	(+) 5.68	(-) 9.88	
2	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	5,410.00 4,211.69	5,852.75 6,414.09	6,887.18 5,798.52	7,600.00 10,652.08	11,170.31 14,092.31	(+) 26.16	(+) 32.30 ⁵	
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	954.00 722.13	1,000.00 912.52	1,100.00 1,029.42	1,500.00 1,222.17	1,650.00 1,548.39	(-) 6.16	(+) 26.69 ⁶	
4	बिजली	90.00 72.80	270.00 1,060.81	2,700.00 967.87	2,700.00 1,322.17	2,700.00 2,938.85	(+) 8.85	(+) 122.27 ⁷	
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ ⁸	4,455.59 3,469.25	3,088.75 4,868.10	5,506.96 5,738.58	5,062.32 4,989.01	4,499.93 5,904.12	(+) 31.20	(+) 18.34	
	योग	14,173.82 12,969.98	13,182.48 16,449.80	20,231.95 19,934.80	21,636.32 23,134.65	24,240.85 28,944.07	(+) 19.40	(+) 25.11	

(स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान)

वर्ष 2016–17 में करेतर राजस्व का अलग-अलग विवरण चार्ट-3.3 में दर्शाया गया है।


⁵ सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वितरित वेतन की प्रतिपूर्ति के कारण वृद्धि हुई।

⁶ रायलटी की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण वृद्धि हुई।

⁷ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू०पी०पी०सी०एल) को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार से अंश पूँजी की प्राप्ति के कारण वृद्धि हुई।

⁸ अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: व्याज प्राप्तियाँ, सङ्कर एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, इत्यादि।

चार्ट-3.3



लेखापरीक्षा ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी-1.2 एवं 1.3)। वित्त विभाग ने प्रशासनिक विभागों के विगत वर्ष के बजट अनुमानों में एकपक्षीय रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि कर दी तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों पर विचार किये बिना ही उसे संगत वर्ष के लिए निश्चित कर दिया। वित्त विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा को बजट पत्रावलियाँ उपलब्ध कराने से मना करने के कारण इस त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारणों का आंकलन नहीं हो सका (परिशिष्ट-I)। इस प्रकार पत्रावलियाँ प्रस्तुत न करना डी0पी0सी0 एकट, 1971 की धारा 18(1)(ब) तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 181 में प्रतिष्ठापित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन है।

संस्तुति:

वित्त विभाग को बजट की तैयारी से सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराना चाहिये तथा बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजटिंग विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।


3.3 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2017 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का राजस्व बकाया ₹ 28,070.32⁹ करोड़ था, जिसमें से ₹ 11,863.23¹⁰ करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था। विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण चार्ट-3.4 में प्रदर्शित हैं।

⁹ बिक्री, व्यापार, आदि पर कर: ₹ 27,214.14 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: ₹ 373.63 करोड़; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर: ₹ 93.37 करोड़; राज्य आबकारी: ₹ 53.18 करोड़; मनोरंजन कर: ₹ 336.00 करोड़।

¹⁰ बिक्री, व्यापार, आदि पर कर: ₹ 11,803.03 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: विभाग के पास अनुपलब्ध; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर : विभाग के पास अनुपलब्ध; राज्य आबकारी: ₹ 52.18 करोड़; मनोरंजन कर : ₹ 8.02 करोड़।

चार्ट-3.4



“उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली” की लेखापरीक्षा में राजस्व बकायों पर एक विस्तृत विश्लेषण किया गया तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के प्रस्तर संख्या 4.4 में इंगित किया गया जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक कर वसूली अधिकारी की तैनाती, राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों को समय से जारी करने हेतु एक प्रणाली विकसित करने एवं राजस्व बकाया की प्रभावी वसूली को सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित विभाग के स्वीकृत पदों के अनुसार जनशक्ति को तैनात करने की अनुशंसा की गयी थी।

वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर कुल राजस्व बकाया ₹ 28,070.32 करोड़, राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,14,909.99 करोड़) का 24.42 प्रतिशत था जिसमें 42.26 प्रतिशत (₹ 11,863.23 करोड़) का बकाया पिछले पाँच या अधिक वर्षों से वसूली हेतु लम्बित था। यह राज्य में शिथिल राजस्व प्रशासन एवं अनुपालनहीनता का सूचक है। बकाये की मात्रा अनावश्यक रूप से अधिक है जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास करने की अवश्यकता है।

बकाया संग्रह के लम्बित होने के कारणों को पता करने हेतु लेखापरीक्षा ने संबंधित विभागों की पत्रावलियों एवं दस्तावेजों की जाँच की। विभागों ने लम्बित वसूली के विभिन्न चरणों को सूचित किया, परन्तु लम्बित बकाया से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व बकाये के विवरण उपलब्ध नहीं थे। विभागों¹¹ में बकाया संग्रह की प्रगति की निगरानी या बकाया संचय के कारणों के आकलन हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था। अग्रेतर, विभागों ने अदत्त बकाये का कोई केन्द्रीकृत डाटाबेस नहीं बनाया है। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अदत्त बकाये के आंकड़ों को प्रतिवर्ष क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित किया गया था।

¹¹ वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

संस्तुति:

विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाना चाहिए एवं बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी हेतु एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रिया विकसित किया जाना चाहिए।

3.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन—सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले०प०प्र०) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो०ले०स०) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 205 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित) जिन्हें सितम्बर 2013 और मई 2017 के मध्य राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को देने में अत्याधिक विलम्ब देखा गया जो कि एक माह से 43 माह के मध्य था। विभिन्न विभागों¹² से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण सारणी—3.4 में दिया किया गया है।

सारणी—3.4

क्र० सं०	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधान मण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2012	16 सितम्बर 2013	56	56	00
2	31 मार्च 2013	20 जून 2014	49	32	17
3	31 मार्च 2014	17 अगस्त 2015	43	17	26
4	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
5	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	26	00
योग			205	131	74

वर्ष 2016–17 में (मई 2016 तथा जून 2016 के मध्य), लो०ले०स० ने 2011–12 से 2013–14 के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 79 चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की। तथापि इन प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का०आ०) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुई जैसा कि सारणी—3.5 में उल्लिखित है।

सारणी—3.5

वर्ष	विभाग का नाम	योग
2011–12	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भूतत्व एवं खनिकर्म, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/वन, बॉट एवं माप	54
2012–13	राज्य आबकारी, परिवहन, भूतत्व एवं खनिकर्म, बॉट एवं माप	18
2013–14	राज्य आबकारी, वाणिज्य कर	07
	योग	79

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

¹² वाणिज्य कर (25 प्रस्तर), राज्य आबकारी (3 प्रस्तर), परिवहन (17 प्रस्तर), स्टाम्प एवं निबंधन (10 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (14 प्रस्तर) तथा मनोरंजन कर (5 प्रस्तर)।

संस्तुति:

राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विभाग लोक लेखा समिति की संतुतियों पर कार्यवाही आख्या त्वरित रूप से तैयार करें।

3.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को प्रतियों के साथ, सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि०प्र०) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

दिसम्बर 2016 तक जारी नि०प्र० की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2017 के अन्त तक 11,943 नि०प्र० से सम्बन्धित 41,138 प्रस्तर लम्बित थे। इन नि०प्र० में प्रकाश में लाया गया प्रभावी वसूली योग्य राजस्व ₹ 6,898.44 करोड़ था, जबकि राज्य का कुल राजस्व संग्रह ₹ 1,14,909.99 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभागवार विवरण सारिणी-3.6 में दिया गया है।

सारणी-3.6
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)					
क्र० सं०	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि०प्र० की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वित्त	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	5,454	24,113	3,694.75
		मनोरंजन कर	177	419	17.97
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकरी	1,021	1,807	878.59
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,299	5,282	825.22
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3,806	8,701	708.10
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	186	816	773.81
योग			11,943	41,138	6,898.44

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

यहाँ तक कि नि०प्र० निर्गत करने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर समय से प्राप्त नहीं हुए। लेखापरीक्षा ने कार्यालयाध्यक्षों से एक नि०प्र० के मामले में प्रथम उत्तर एक माह के अन्दर, 89 नि०प्र० के मामलों में एक से छः माह के बीच तथा 52 नि०प्र० के मामलों में छः माह बाद प्राप्त किया। वर्ष 2016–17 के दौरान जारी हुए 593 नि०प्र० में से 451 नि०प्र० के मामलों में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नि०प्र० का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख प्रतिवेदित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संज्ञान लेने एवं इस सन्दर्भ में सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। कार्यालयाध्यक्षों का लेखापरीक्षा में रूचि का अभाव इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष प्रति वर्ष सम्बन्धित विभागों द्वारा बुनियादी स्तर पर बिना किसी सुधार/किसी सुधारात्मक कदम के साक्षय की दृश्यता के बिना प्रतिवेदित हो रही हैं।

इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुति:

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी निप्रो पर त्वरित प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें एवं निप्रो के शीघ्र निस्तारण के लिये लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करें।

3.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के छः विभागों¹³ को समाविष्ट किया तथा बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, मनोरंजन कर एवं खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 2,352 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 569 इकाईयों (24 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2016 एवं जून 2017 के मध्य 14 जिला आबकारी कार्यालयों की लेखापरीक्षा भी सम्पादित की गयी। अग्रेतर यह एक नमूना लेखापरीक्षा थी। 2015–16 के दौरान छः विभागों में ₹ 80,507.85 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 569 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 38,139.48 करोड़ (47 प्रतिशत) राजस्व संग्रहीत किया। 569 लेखापरीक्षित इकाईयों में टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जांच की गयी जिससे 3,061 प्रस्तरों में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित ₹ 2,246.74 करोड़ (छः प्रतिशत) के मामले पाये गये। सम्बन्धित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 593 मामलों में ₹ 9.12 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकारा। विभागों ने 336 मामलों में ₹ 2.72 करोड़ की वसूली भी की।

संस्तुति:

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाए।

3.7 प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन

प्रतिवेदन के इस भाग में वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के 15 प्रस्तर शामिल हैं, जिनमें ₹ 1,751.89 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो राज्य सरकार के विभागों की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये हैं।

अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण स्वतः यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे अपेक्षानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।

विभागों ने ₹ 1,535.14 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है तथा ₹ 80.46 लाख की वसूली की है। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों—4 से 7 में की गयी है।

¹³ वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

अध्याय—4
राज्य आबकारी
(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय-4: राज्य आबकारी

4.1 कर प्रशासन

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा (दे०म०) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा०नि०वि०म०) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व¹ का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क² भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं नियम³, मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ०आ०) विभाग के प्रमुख होते हैं। आबकारी विभाग, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी जौन में विभाजित है जिसके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित जनपदों के सहायक आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में आबकारी निरीक्षकों की तैनाती होती है जो आबकारी अभिकर एवं सम्बन्धित राजस्व के आरोपण/उद्ग्रहण की देखरेख एवं विनियमन करते हैं।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग की 236 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 77⁴ इकाइयों (33 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। विभाग ने 2015–16 के दौरान ₹ 14,083.54 करोड़ राजस्व अर्जित किया, जिसमें लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 4,521.34 करोड़ (32 प्रतिशत) संग्रहीत किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 14 जिला आबकारी कार्यालयों जिन्होंने 2012–13 से 2016–17 के दौरान ₹ 4,910.02 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था, की भी नमूना जाँच अक्टूबर 2016 और जून 2017 के मध्य की गयी थी।

लेखापरीक्षा जाँच में आबकारी अभिकर की कम वसूली, अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज आदि की वसूली नहीं किये जाने के कारण ₹ 1,490.43 करोड़ के 202 प्रस्तर प्रकाश में आये, जैसा कि सारणी-4.1 में दर्शाया गया है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

¹ 2016–17 के कुल आबकारी राजस्व में देशी मदिरा का 51 प्रतिशत, भा०नि०वि०म० का 33 प्रतिशत, बीयर का 13 प्रतिशत एवं अन्य का तीन प्रतिशत हिस्सा था।

² दे०म०, भा०नि०वि०म०, बीयर, बारों, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मसियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयों जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

³ उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002।

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002।

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

⁴ जिला आबकारी कार्यालयों (36), आसवनियाँ (31) एवं चीनी सिले (10)।

सारणी—4.1

क्र० सं०	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (करोड़ ₹ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	आबकारी अभिकर की कम वसूली होना	44	110.58	7.42
2.	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	65	87.15	5.85
3.	अन्य अनियमिततायें	93	1,292.70	86.73
योग		202	1,490.43	

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

विभाग ने कुल 2,712 मामलों में से 39 मामलों में ₹ 68.79 लाख अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जो कि 1999–2000 और 2007–08 व 2016–17 के मध्य इंगित किये गये थे, और सम्बन्धित बकाये राजस्व को वसूल किया।

इस अध्याय में ₹ 1,404.25 करोड़ के पाँच प्रस्तरों⁵ पर चर्चा की गयी है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार-बार प्रतिवेदित किया गया है, जैसा कि सारणी—4.2 में वर्णित है।

सारणी — 4.2

प्रेक्षण की प्रकृति	(₹ करोड़ में)											
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
दुकानों के चयन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का सम्पहरण किये जाने में विफलता	-	-	639	53.68	-	-	32	3.66	1,007	37.43	1,678	94.77
बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर का बिक्री किया जाना	-	-	1,370	16.80	87	1.31	-	-	364	6.70	1,821	24.81
मॉडल शॉप पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण	27	1.54	393	7.51	-	-	2	0.36	-	-	422	9.41

संस्तुति :

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिये प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिये कि लेखापरीक्षा के दौरान नियमित रूप से पाये जाने वाली सतत अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

4.3 दुकानों के चयन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का सम्पहरण किये जाने में विफलता

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये लोक लेखा समिति के निर्देशों पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 843.16 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 453.91 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 1,297.07 करोड़ के सम्पहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

उत्तर प्रदेश आबकारी (फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) की विभिन्न

⁵ पाँच प्रस्तर 15,579 मामलों को सम्मिलित करते हैं।

नियमावलियाँ⁶ निर्दिष्ट करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क⁷ (बे०आ०शु०) / अनुज्ञापन शुल्क⁸ (आ०शु०) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति⁹ धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता के प्रकरण में, दुकान का चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा बे०आ०शु० / आ०शु० एवं जमा प्रतिभूति की धनराशि का समपहरण अपेक्षित है एवं इन दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता है।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 2012–13 और 2014–15 से 2015–16 के दौरान 1,678 मामलों में दुकानों के निरस्तीकरण एवं जमा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति के समपहरण में विफलता के कारण धनराशि ₹ 94.77 करोड़ की सतत हानि को उजागर किया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये लेखापरीक्षा ने 50 में से 26¹⁰ जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि 27,562 में से 14,334 मदिरा की दुकानों (52 प्रतिशत) जो कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विलम्ब की औसत अवधि 138 दिन थी। तथापि, जिला आबकारी अधिकारियों (जि०आ०आ०) द्वारा नियमों में उल्लिखित, कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। यद्यपि प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत कोई छूट अनुमन्य नहीं है, विलम्ब पर कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 1,297.07 करोड़ (बे०आ०शु० / आ०शु० ₹ 843.16 करोड़ और जमा प्रतिभूति ₹ 453.91 करोड़) की धनराशि जब्त नहीं हुई। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 2012–13 के प्रस्तर 3.8.8.1 में उजागर किये गये समान मामले पर लोक लेखा समिति ने प्रमुख सचिव, आबकारी को निर्देश दिया (मई 2015) कि चूककर्ता अनुज्ञापियों के विरुद्ध कार्यवाही करें एवं सुनिश्चित करें कि समान अनियमितता भविष्य में दोहरायी न जाये।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया, परन्तु वर्ष के मध्य में दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन में व्यवहारिक कठिनाइयों को व्यक्त किया। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग न तो अनुज्ञापन धारकों से समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रयास कर रहा था और न ही मौजूदा नियमों के अनुसार चूककर्ताओं की जमा धनराशि का समपहरण कर रहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये इस सम्बन्ध में सरकार को नियमों या प्रक्रियाओं में संशोधन जैसे किसी वैकल्पिक तरीके का सुझाव नहीं दिया।

संस्तुति:

विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

⁶ उ०प्र० आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) नियमावली 2001।

उ०प्र० आबकारी (बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001।

उ०प्र० आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2002।

उ०प्र० आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2003।

⁷ बे०आ०शु० – ₹ 22 प्रति बी०एल० (2012–13), ₹ 23 प्रति बी०एल० (2013–14), ₹ 24 प्रति बी०एल० (2014–15) एवं ₹ 25 प्रति बी०एल० (2015–16 एवं 2016–17)।

⁸ आ०शु० – ₹ 159 प्रति बी०एल० (2012–13), ₹ 184 प्रति बी०एल० (2013–14), ₹ 204 प्रति बी०एल० (2014–15), ₹ 227 प्रति बी०एल० (2015–16) एवं ₹ 226 प्रति बी०एल० (2016–17)।

⁹ दुकान के लिये निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 10 प्रतिशत।

¹⁰ जि०आ०का०: आगरा, अलीगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, इटावा, फतेहपुर, गाजियाँपुर, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कौशाली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

4.4 बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना

बोतल बंद बीयर की फुटकर बिक्री के लिये बीयर बार अनुज्ञापन जारी नहीं किये जाने से 2012–13 से 2016–17 के दौरान 720 अनुज्ञापियों के सम्बन्ध में ₹ 13.59 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

जैसा कि उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2002 में परिभाषित है, विदेशी मदिरा में माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, आदि शामिल है, परन्तु बीयर शामिल नहीं है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2002 के अनुसार होटलों, डाक बंगलों या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र एफ0एल0–7ख में बीयर बार अनुज्ञापन अपेक्षित है। एफ0 एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 अनुज्ञापन केवल ड्राफ्ट बीयर की बिक्री को आच्छादित करता है।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 2012–13 से 2013–14 और 2015–16 के दौरान 1,821 मामलों में ₹ 24.81 करोड़ की सतत हानि को उजागर किया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये, लेखापरीक्षा ने 50 में से 29¹¹ जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान एफ0एल0–6, एफ0एल0–6ए (सम्मिश्र) और एफ0एल0–7 श्रेणी के अन्तर्गत व्यवस्थित या नवीनीकृत किये गये होटलों/जलपान गृह बारों के 797 में से 720 अनुज्ञापनों के उपभोग अभिलेखों ने दर्शाया कि अनुज्ञापियों ने भा0नि0वि0म0 के अतिरिक्त बोतल बंद बीयर बेचा था जो कि जारी अनुज्ञापनों से अच्छादित नहीं थी। सम्बन्धित जि0आ0अ0 ने बोतल बंद बीयर बेचने के लिये एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिये अनुज्ञापियों को विवश नहीं किया। परिणामस्वरूप, शासन ₹ 13.59 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने उत्तर दिया कि दिनांक 20 दिसम्बर 1980 की अधिसूचना¹² के अनुसार बीयर को विदेशी मदिरा की परिभाषा में शामिल किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। नियमों से पहले जारी की गयी अधिसूचना उन नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है जो अधीनस्थ कानून गठित करते हैं।

संस्तुति:

विभाग को सम्बन्धित अधिसूचना में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन करना चाहिये कि वह नियमों के अनुरूप हो जिससे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके। इस प्रक्रिया में यदि यह लगता है कि आबकारी नीति के मौजूदा प्रावधान अलाभकारी हैं, तो विभाग नीति की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

¹¹ जि0आ0का0: आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बलिया, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, देवरिया, फैजाबाद, जी0बी0नगर, गाजियाबाद, गोणडा, गोरखपुर, जालौन, झौसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, उन्नाव एवं वाराणसी।

¹² सं 8272-ई/XIII-656-79 दिनांक 20 दिसम्बर 1980।

4.5 मॉडल शॉप्स पर अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण

आबकारी नीति में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मॉडल शॉप्स का अनुज्ञापन शुल्क नियत न किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2.49 करोड़ का कम आरोपण।

राज्य आबकारी नीति के अनुसार, मॉडल शॉप¹³ की दुकान के लिये अनुज्ञापन शुल्क उसी वर्ष नगर में व्यवस्थित विदेशी मंदिरा एवं बीयर दोनों की फुटकर दुकानों के उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की संचित धनराशि पर नियत किया जाना था। परन्तु यह आबकारी नीति में प्रदान की गयी न्यूनतम/अधिकतम निर्धारित सीमा से कम/अधिक नहीं हो सकता जैसा कि सारणी-४.३ में वर्णित है।

सारणी-४.३

(₹ लाख में)			
वर्ष	अधिसूचना का दिनांक	न्यूनतम अनुज्ञापन शुल्क	अधिकतम अनुज्ञापन शुल्क
2014–15	29 जनवरी 2014	12.65	34.50
2015–16	12 जनवरी 2015	14.55	39.70
2016–17	17 फरवरी 2016	14.55	39.70

(स्रोत: सरकार द्वारा जारी आबकारी नीति से सूचना)

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 2011–12 से 2012–13 और 2014–15 के दौरान 422 मामलों में ₹ 9.41 करोड़ की सतत हानि को उजागर किया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये, लेखापरीक्षा ने 50 में से आठ¹⁴ जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 73 में से 44 व्यवस्थित मॉडल शॉप्स के सम्बन्ध में नगर में व्यवस्थित दोनों विदेशी मंदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों से संचित उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की गणना ₹ 10.93 करोड़ की गयी। विभाग ने बिना कोई कारण बताये इन मॉडल शॉप्स से ₹ 8.44 करोड़ का कुल अनुज्ञापन शुल्क नियत एवं वसूल किया। अनुज्ञापन शुल्क का आंकलन करते समय, सम्बन्धित जिझियों ने आबकारी नीति में प्रदान किये गये नगर में दोनों विदेशी मंदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों से प्राप्त उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की धनराशि को अनदेखा कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ अनुज्ञापन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने उत्तर दिया कि इन मॉडल शॉप्स हेतु अनुज्ञापन शुल्क का आरोपण एवं वसूली आबकारी नीति के अनुसार की गयी थी। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित जिझियों ने इन मॉडल शॉप्स के अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण करते समय आबकारी नीति में प्रदान किये गये नगर में दोनों विदेशी मंदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों से प्राप्त उच्चतम अनुज्ञापन शुल्क की संचित धनराशि की शर्त को अनदेखा कर दिया।

संस्तुति:

विभाग को मंदिरा की दुकानों के अनुज्ञापन शुल्क को निर्धारित करते समय आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुपालन में समुचित सावधानी सुनिश्चित करनी चाहिये।

¹³ मॉडल शॉप एक अनुज्ञापन प्राप्त मंदिरा की दुकान होती है जिसमें कम से कम 600 वर्ग फीट कारपेट एरिया एवं पीने की सुविधा हो।

¹⁴ जिझियों: बहराइच, बाँदा, बाराबंकी, एटा, गाजीपुर, गोण्डा, रामपुर एवं उन्नाव।

4.6 देशी मदिरा की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यूप्र०मा०) का विगत वर्ष की न्यूप्र०मा० से कम पर निर्धारण

विभाग ने वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिये 37.33 लाख बी०एल० न्यूप्र०मा० का कम निर्धारण किया। इस प्रकार शासन बेसिक अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.08 करोड़ तथा अनुज्ञापन शुल्क ₹ 78.85 करोड़ से वंचित रहा।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 की आबकारी नीतियों के अनुसार जिले में देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा¹⁵ (न्यूप्र०मा०) का निर्धारण विगत वर्ष की न्यूप्र०मा० के सापेक्ष 2012–13 से 2014–15 में छः प्रतिशत, 2015–16 में आठ प्रतिशत एवं 2016–17 में चार प्रतिशत की वृद्धि करके किया जाना था। दुकानों का व्यवस्थापन न्यूप्र०मा० में उपरोक्त वृद्धि प्रभावी करते हुये किया जाना था और बेसिक अनुज्ञापन शुल्क¹⁶ की वसूली उनके लिये निर्धारित न्यूप्र०मा० के अनुसार की जानी थी। अनुज्ञापन शुल्क¹⁷ का समायोजन आसवनी स्तर पर पहले से ही भुगतान किये गये आबकारी अभिकर से किया जाता है। वर्षानुवर्ष अधिसूचित आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों की न्यूप्र०मा० विगत वर्ष के न्यूप्र०मा० से कम नहीं होनी चाहिये।

लेखापरीक्षा ने 50 जिला अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान इन जिलों में देशी मदिरा की 6,522 व्यवस्थित दुकानों में से आठ¹⁸ जिलों की 391 दुकानों में विगत वर्ष के निर्धारित न्यूप्र०मा० के स्तर से न्यूप्र०मा० वस्तुतः कम किया गया जबकि विद्यमान निर्देशों में इसमें वृद्धि का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार विगत वर्ष के न्यूप्र०मा० 179.03 लाख बी०एल० के बजाय जिऽआ०आ० ने बिना कोई कारण बताये दुकानों को 141.70 लाख बी०एल० न्यूप्र०मा० पर व्यवस्थित किया। इसके परिणामस्वरूप 2012–13 से 2016–17 की अवधि में 37.33 लाख बी०एल० न्यूप्र०मा० का कम निर्धारण हुआ। इस प्रकार से शासन बेसिक अनुज्ञापन शुल्क ₹ 9.08 करोड़ एवं अनुज्ञापन शुल्क ₹ 78.85 करोड़ से वंचित रहा।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने उत्तर में बताया कि देशी मदिरा की न्यूप्र०मा० का निर्धारण विद्यमान आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। उत्तर सही नहीं है। सम्बन्धित जिऽआ०आ० ने देशी मदिरा की दुकानों को विगत वर्ष के न्यूप्र०मा० से कम पर व्यवस्थित किया जो आबकारी नीति के अनुरूप नहीं था।

संस्तुति:

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जिऽआ०आ० देशी मदिरा की दुकानों की न्यूप्र०मा० का निर्धारण पिछले वर्ष से कम पर आबकारी नीति का उल्लंघन करके न करें।

¹⁵ जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित देशी मदिरा की न्यूनतम मात्रा जिसे अनुज्ञापी ने आबकारी वर्ष या आबकारी वर्ष के भाग के दौरान अपने देशी मदिरा की दुकान या दुकानों के समूह जिसके लिए उसने अनुज्ञापन प्राप्त किया है, में फुटकर बिक्री के उद्देश्य से उठाने हेतु प्रत्याभूत किया है।

¹⁶ बेसिक अनुज्ञापन शुल्क का आशय प्रतिफल के ऐसे भाग से है जो देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के एकातिक विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञापन धारक के रूप में चुने गये व्यक्ति द्वारा अनुज्ञापन स्वीकृत होने से पूर्व देय है।

¹⁷ अनुज्ञापन शुल्क का आशय प्रतिफल के ऐसे शेष भाग से है जो देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के एकातिक विशेषाधिकार के लिए अनुज्ञापन धारक के रूप में चुने गये व्यक्ति द्वारा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त देय है।

¹⁸ आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखनऊ एवं वाराणसी।

4.7 भा०नि०वि०म० की फुटकर अनुज्ञापन की दुकानों के व्यवस्थापन पर विगत वर्ष से कम अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण

भा०नि०वि०म० की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क से कम किया गया था। इस प्रकार शासन ₹ 3.17 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा।

वर्ष 2014–15 और 2015–16 की आबकारी नीति के अनुसार, भा०नि०वि०म० की फुटकर दुकानों के लिये अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क में 15 प्रतिशत वृद्धि करके किया जाना था। यह भी प्रावधानित किया गया था कि भा०नि०वि०म० की फुटकर दुकानों के लिये अनुज्ञापन शुल्क, विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क से कम नहीं होना चाहिये। वर्ष 2016–17 में भा०नि०वि०म० की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2015–16 में निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क के समान था।

लेखापरीक्षा ने पाँच¹⁹ जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 90 दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क विगत वर्ष से कम कर दिया गया था। इस प्रकार विगत वर्ष के अनुज्ञापन शुल्क ₹ 19.71 करोड़ के बजाय जि०आ०आ० ने बिना कोई कारण बताये दुकानों का व्यवस्थापन ₹ 16.54 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क पर किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ अनुज्ञापन शुल्क का कम निर्धारण हुआ।

समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने उत्तर में बताया कि भा०नि०वि०म० की दुकानों के अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित जि०आ०आ० ने भा०नि०वि०म० की दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क विगत वर्ष के स्तर से कम कर दिया जबकि अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण सम्बन्धित वर्ष की आबकारी नीति के अनुसार किया जाना था।

संस्तुति:

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जि०आ०आ० निरपवाद रूप से भा०नि०वि०म० की दुकानों के अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण आबकारी नीति के अनुसार करें। इस प्रक्रिया में यदि यह लगता है कि आबकारी नीति के मौजूदा प्रावधान अलाभकारी हैं, तो विभाग नीति की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है।

¹⁹ आगरा, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर नगर एवं लखनऊ।

अध्याय—5

बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय–5: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

5.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर कानून एवं उसके अधीन बने नियमों को प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिशनर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिशनर, 157 ज्वाइन्ट कमिशनर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिशनर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिशनर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0आ0) होते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने वाणिज्य कर विभाग की कुल 1,536 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 270¹ (18 प्रतिशत) इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। विभाग ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 47,692.40 करोड़ का राजस्व संग्रह किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 25,329.62 करोड़ (53 प्रतिशत) संग्रह किया। लेखापरीक्षा ने 1,757 प्रस्तरों में धनराशि ₹ 226.72 करोड़ की अनियमितताएं चिह्नित की, जैसा कि विभाग को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित किये गये थे। ये सारणी–5.1 में वर्णित हैं।

सारणी–5.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1	कर का अवनिर्धारण	481	61.61	27.17
2	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	30	1.44	0.64
3	खरीद / बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	22	1.11	0.49
4	आई0टी0सी0 की अनियमित / गलत / अधिक अनुमन्यता	269	13.16	5.80
5	अन्य अनियमितताएं	955	149.40	65.90
योग		1,757	226.72	

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

वर्ष के दौरान विभाग ने 2007–08 और 2016–17 के मध्य इंगित किये गये 461 मामलों में ₹ 7.76 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और इसमें से 204 मामलों में ₹ 1.36 करोड़ की वसूली की।

यह अध्याय उपरोक्त मामलों में से उनके महत्व के आधार पर ₹ 25.03 करोड़ धनराशि के 168 मामलों की विवेचना करता है। इस प्रकार के मामले विगत पाँच वर्षों में बार–बार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद इन अनियमितताओं में से कुछ लगातार बनी रहती हैं जैसा कि सारणी–5.2 में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

¹ कमिशनर, वा0क0 (01), ज्वा0कमि0 (24), एडी0 कमिशनर (01), डि0कमि0 (149), असि0कमि0 (73), एवं वाणिज्य कर अधिकारी (22)।

सारणी—5.2

प्रेक्षणों की प्रकृति	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	(₹ करोड़ में)
	मामले	धनराशि										
कर की गलत दर लगाया जाना	79	3.32	95	2.36	75	8.49	132	7.49	35	2.72	416	24.38
माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	17	0.81	—	—	—	—	24	4.23	13	0.63	54	5.67

अनियमितताओं की पुनरावृत्तीय प्रकृति यह प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित किये जाने के बाद भी सतत् अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये।

संस्तुति:

राज्य सरकार को अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये उपायों को आरम्भ करना चाहिए जिससे कि वर्षानुवर्ष उनकी पुनरावृत्ति न हो।

5.3 कर का कम/न आरोपण

अभिलेखों की जाँच में ऐसे दृष्टान्त प्रकट हुये जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी (क0नि0प्रा0) कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अप्रैल 2012 और जुलाई 2016 के मध्य) दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू करने में असफल रहे और माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की निम्नतर दर को लागू किया। जिसके परिणामस्वरूप नमूना जाँच किये गये 37 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) में 2009–10² से 2013–14 की अवधि में 6,007 में से 46 व्यापारियों के मामलों में ₹ 5.75 करोड़ कर का कम/न आरोपण हुआ था। कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

5.3.1 कर की गलत दर लगाया जाना

क0नि0प्रा0 ने ₹ 25.26 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, ऐसी वस्तुओं पर लागू दरों को अनुसूची के अनुसार सत्यापित किये बिना, व्यापारियों द्वारा दाखिल कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार धनराशि ₹ 2.00 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुएं अनुसूची I में उल्लिखित हैं तथा लागू कर की दरों के अनुसार कर योग्य वस्तुएं अनुसूची II से IV में उल्लिखित हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 416 व्यापारियों के करनिर्धारण को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त प्रावधानों का पालन करने में क0नि0प्रा0 की असफलता को उजागर किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.38 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया (सितम्बर 2016)।

² उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 29(3) उपबन्धित करती है कि कोई भी करनिर्धारण आदेश ऐसे करनिर्धारण वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के अन्दर कर दिया जाए।

आश्वासनों का अनुगमन करते हुये लेखापरीक्षा ने 21 वार्षिकों³ (लेखापरीक्षित 270 वार्षिकों में से) के करनिधारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि कोनिप्रा० ने 24 व्यापारियों (नमूना जाँच किये गये 3,413 व्यापारियों में से) के मामलों में वर्ष 2009–10 से 2013–14 के कर निधारण को अन्तिम रूप देते समय (अप्रैल 2012 और जुलाई 2016 के मध्य) ₹ 25.26 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर व्यापारियों द्वारा कर विवरणियों में उल्लिखित शून्य से पाँच प्रतिशत की कर की दर को स्वीकार किया। कोनिप्रा० अनुसूची के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर प्रभावी पाँच से 14 प्रतिशत की दर सत्यापित और आरोपित करने में विफल रहे। इस प्रकार, धनराशि ₹ दो करोड़ का कर कम/ नहीं आरोपित हुआ (परिशिष्ट-II)।

समापन गोष्ठी (सितम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि तीन मामलों में धनराशि ₹ 25.56 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों में विभाग ने कहा कि कार्यवाही चल रही है।

संस्तुति:

वाणिज्य कर विभाग को कोनिप्रा० द्वारा पारित कर निधारण आदेशों की नमूने के तौर पर यथोचित उच्चस्तरीय आवधिक समीक्षा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने हेतु विचार करना चाहिए।

5.3.2 माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

कोनिप्रा० ने ₹ 43.56 करोड़ मूल्य के माल पर अनुसूची में वस्तुओं के उल्लिखित सही वर्गीकरण को सत्यापित किये बिना व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को स्वीकार किया जिसके परिणामस्वरूप माल की बिक्री पर त्रुटिपूर्ण कर की दर लगाये जाने से धनराशि ₹ 3.75 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ।

वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने 54 व्यापारियों के करनिधारण को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त प्रावधानों (ऊपर प्रस्तर 5.3.1 में उल्लिखित) का पालन करने में कोनिप्रा० की असफलता को उजागर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.67 करोड़ का कर कम/ नहीं आरोपित हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया (सितम्बर 2016)।

आश्वासनों का अनुगमन करते हुये लेखापरीक्षा ने 21 वार्षिकों⁴ (लेखापरीक्षित 270 वार्षिकों में से) के करनिधारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि कोनिप्रा० ने 22 व्यापारियों (नमूना जाँच किये गये 2,594 व्यापारियों में से) के मामलों में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के कर निधारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2014 और मार्च 2016 के मध्य) ₹ 43.56 करोड़ मूल्य के माल पर व्यापारियों द्वारा घोषित वर्गीकरण को अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के सही वर्गीकरण से सत्यापित किये बिना स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप सही कर की दर 13.5 से 14 प्रतिशत के बजाय एक से पाँच प्रतिशत कर की त्रुटिपूर्ण दर लगायी गयी जिससे धनराशि ₹ 3.75 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ (परिशिष्ट-III)।

समापन गोष्ठी (सितम्बर 2017) में विभाग ने 21 मामलों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि नौ मामलों में धनराशि ₹ 1.56 करोड़ का कर आरोपित कर दिया गया है जिसमें से एक मामले में धनराशि ₹ 5.31 लाख की वसूली की गयी है। शेष मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है। एक मामले में विभाग ने

³ वार्षिकों का नाम, कर की दर और अन्य विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

⁴ वार्षिकों का नाम, कर की दर और अन्य विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और बताया कि एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनेल (ए०क०पै०) एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन^५ की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ए०क०पै० एक तैयार सजावटी उत्पाद है जो कि भवनों, कमरों इत्यादि की बाह्य/आन्तरिक दीवारों की सजावट के लिये प्रयुक्त होता है। इसलिए यह अवर्गीकृत वस्तुओं की श्रेणी के अन्तर्गत आता है और न कि एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन की श्रेणी के अन्तर्गत। यह विवाद न्यायिक निर्णयों^६ में भी निर्णीत किया जा चुका है।

संस्तुति:

वाणिज्य कर विभाग को अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार करयोग्य माल का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करना चाहिये।

5.4 पुनरावृत्तीय प्रकृति की अनियमिततायें

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बावजूद क०नि०प्रा० ने मूल्य संवर्धित कर (मू०सं०क०) के वादों के निर्धारण में समुचित सावधानी से कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 19.28 करोड़ की धनराशि की समान प्रकृति की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति हुई।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 326 व्यापारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में क०नि०प्रा० की विफलता के फलस्वरूप धनराशि ₹ 63.15 करोड़ के कर एवं समाधान राशि के कम आरोपण, शास्ति के अनारोपण एवं ब्याज न प्रभारित करने को उजागर किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया (सितम्बर 2016)।

आश्वासनों का अनुगमन करते हुये, लेखापरीक्षा ने 91 वा०क०का० (लेखापरीक्षित 270 वा०क०का० में से) के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा वर्षानुवर्ष इंगित किये जाने के बावजूद क०नि०प्रा० ने वर्ष 2008–09 से 2013–14 के करनिर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (जून 2012 तथा मार्च 2016 के मध्य) 122 व्यापारियों (नमूना जाँच किये गये 13,565 व्यापारियों में से) के मामले में समुचित सावधानी से कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित समान प्रकृति की अनियमितताओं धनराशि ₹ 19.28 करोड़ की पुनरावृत्ति हुई (परिशिष्ट-IV)।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा इंगित करना चाहेगा कि जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) के क्रियान्वयन होने से विरासत में प्राप्त मू०सं०क० (वैट) से सम्बन्धित सभी मामलों का करनिर्धारण मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना है। इसमें, इसलिए राज्य को राजस्व में कमियों की भरपाई का अवसर स्थाई रूप से खो देने का वास्तविक जोखिम है जब तक कि सभी कर निर्धारण इस तिथि तक पूर्ण/पुनराक्षित न कर लिये जायें।

⁵ एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनेल: एक प्रकार का समतल पैनेल है जिसमें दो पतली एल्यूमिनियम शीटें, नान-एल्यूमिनियम कोर से जुड़ी रहती हैं। ए०क०पै० प्रायः भवनों के बाह्य आवरण या अग्रभाग और आन्तरिक सजावट के लिये प्रयुक्त होता है। यह उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम की अनुसूची I से IV में वर्गीकृत नहीं है। एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन: विभिन्न आकार एवं माप के एल्यूमिनियम के टुकड़े एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन हैं। यह उ०प्र०म०सं०क० अधिनियम की अनुसूची II में वर्गीकृत है।

⁶ उदाहरण के लिये म० स्वाती इन्टरप्राइजेज के वाद में कमिशनर वैट, दिल्ली का आदेश क्र० 94/सीडी वैट/2006 दिनांक 8 जून 2006।

समापन गोष्ठी (सितम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि 30 मामलों में धनराशि ₹ 4.62 करोड़ का कर/शर्सित/ब्याज आरोपित/अधिरोपित/प्रभारित किया गया है तथा ब्याज सहित आई०टी०सी० उत्क्रमित की गयी है जिसमें से आठ मामलों में ब्याज की धनराशि ₹ 54.43 लाख की वसूली कर ली गयी है। शेष मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही चल रही है।

संस्तुति:

वाणिज्य कर विभाग को वैट के ऐसे सभी मामलों में जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकृति के समान प्रेक्षण दिखे हों/दिखने की सम्भावना हो, की समीक्षा करनी चाहिए तथा मार्च 2020 तक सभी निर्धारण पूर्ण करने चाहिए।

लेखापरीक्षा का प्रभाव

विभाग ने इस अध्याय में निर्दर्शित ₹ 25.03 करोड़ में से ₹ 59.74 लाख की वसूली सूचित की है (सितम्बर 2017)।

अध्याय—6
अन्य कर प्राप्तियाँ
(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय—6: अन्य कर प्राप्तियाँ

(अ) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

6.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो०या० अधिनियम), केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (के०मो०या० नियमावली), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ०प्र०मो०या०क० अधिनियम), उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 (उ०प्र०मो०या०क० नियमावली), कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 (कै०बा०रो० अधिनियम), कैरिज बाई रोड नियमावली, 2011 (कै०बा०रो० नियमावली), तथा समय—समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों के द्वारा नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प०आ०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः¹ उप परिवहन आयुक्त (उ०प०आ०), 19² सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स०प०आ०) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स०स०प०आ०) (प्रशासन) हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन किया जाता है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन किया जाता है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के सम्पूर्ण प्रशासन हेतु सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरदायी होते हैं।

राज्य में 114 प्रवर्तन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स०स०प०आ० (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं। मुख्यालय पर दो विशेष प्रवर्तन दल तैनात हैं। मुख्यालय स्तर पर एक अपर प०आ० (प्रवर्तन) तथा मण्डलीय³ स्तर पर छः उप प०आ० के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में 10 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जनपद स्तर पर तैनात हैं। प्रवर्तन प्रबंधन पर अपंजीकृत वाहनों/अतिभार वाहनों के संचालन/करापवंचन/राज्य में बिना परमिट के वाहनों/चालक अनुज्ञाप्ति/स्वस्थता प्रमाण पत्र/प्रदूषण के मापदण्डों एवं लागू अधिनियमों/नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित अपराधों के जाँच करने का दायित्व है।

विभाग द्वारा एक साफ्टवेयर यथा वाहन को, वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और शुल्क का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया था। अतः विभाग के पास वाहन के रूप में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण यंत्र है। इस साफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की सूची आदि जैसे विवरण को उत्पन्न करने की सुविधा भी है। तथापि, सी०ए०जी० द्वारा विगत प्रतिवेदनों में उठाई गयी आपत्तियाँ इंगित करती है कि विभागीय प्राधिकारी इस प्रकार के विशिष्ट विवरणों का

¹ आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

² आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बौदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

³ आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

संज्ञान लेने में विफल रहे जिसके कारण वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टांतों की पुनरावृत्ति हुई।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 45⁴ (59 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में संग्रहीत सकल राजस्व ₹ 4,410.53 करोड़ में से लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा ₹ 2,080.41 करोड़ (47 प्रतिशत) संग्रहीत किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में कर की कम वसूली, अतिरिक्त कर एवं स्वस्थता शुल्क के अनारोपण, शास्ति के अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 16.79 करोड़ के 470 प्रस्तर प्रकाश में आये जैसा कि सारणी–6.1 में दर्शाये गये हैं।

सारणी – 6.1

क्र०सं०	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	कम वसूली <ul style="list-style-type: none"> ● यात्रीकर/ अतिरिक्त कर ● माल कर 	166	4.96	29.54
2.	कर का अपवंचन <ul style="list-style-type: none"> ● यात्रीकर/ अतिरिक्त कर ● माल कर 	181	6.47	38.54
3.	अन्य अनियमिततायें	123	5.36	31.92
योग		470	16.79	

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

वर्ष के दौरान विभाग ने कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 3,553 मामले जो वर्ष 1999–2000 में और वर्ष 2010–11 से 2015–16 के मध्य इंगित किये गये थे, में से 62 मामलों में ₹ 39.31 लाख के बकाया राजस्व की वसूली की।

इस अध्याय में ₹ 8.61 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 10,898 मामलों को निर्दर्शित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान लगातार प्रतिवेदित किया गया है जिसका विवरण सारणी–6.2 में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

सारणी – 6.2

प्रेक्षण का नाम	(₹ करोड़ में)							
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना	16,285	5.10	8,792	4.03	6,267	8.35	5,820	2.69
कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का अनारोपण	--	--	--	--	--	--	1,786	4.08
जे0एन0एन0यूआर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया	--	--	--	--	248	19.20	464	30.36
							805	35.69
							1,517	85.25

⁴ स0प0अ0 के कार्यालय— आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाँदा, बरेली, बरस्ती, गोण्डा, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं स0स0प0अ0 के कार्यालय— औरैया, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जी0बी10 नगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हायुड, हाथरस, जे0पी0 नगर, कन्नौज, कोशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, एस0आर0 नगर एवं सुल्तानपुर।

संस्कृतियाँ:

- विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार प्रतिवेदित कमियों को पुनः न दोहराया जाय।
- विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अधिक धनराशि के न/कम वसूली किये गये मामलों में वसूली सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण के लिए अधिक प्रभावी उपायों को आरम्भ करना चाहिए।

6.3 परिवहन वाहनों के स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया जाना

वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संभाव्यता संचालित 9,852 वाहनों पर स्वस्थता शुल्क ₹ 54.28 लाख को आरोपित करने एवं शास्ति ₹ 3.94 करोड़ के आरोपण में विभाग विफल रहा।

मो0या० अधिनियम, 1988 एवं के०मो०या० नियमावली, 1989 प्रावधानित करता है कि कोई परिवहन यान पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास स्वस्थता प्रमाण पत्र न हो। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है। अधिनियम में यह भी प्रावधानित है कि यदि स्वस्थता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो परिवहन प्राधिकारी ऐसे वाहन का परमिट किसी अवधि के लिए जैसा वह उचित समझे निलम्बित या निरस्त कर सकता है। बिना स्वास्थता प्रमाण पत्र के वाहन का संचालन अर्थदण्ड ₹ 4000⁵ प्रति प्रकरण की दर से दण्डनीय है।

के०मो०या० नियमावली में तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नवीनीकरण शुल्क ₹ 100 भी आरोपणीय है। चूक की दशा में, निर्धारित जाँच फीस के बराबर अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 53,410 वाहनों पर स्वस्थता शुल्क एवं शास्ति आरोपित न किये जाने के कारण धनराशि ₹ 27.60 करोड़ के शासकीय राजस्व की सतत हानि को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016–17 के दौरान 31⁶ स००३०३०/स००३०३० के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2017 के मध्य 38,061 वाहनों में से 9,852 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे, हालांकि उनसे देय कर वसूल किया गया था। यद्यपि, वाहन साफ्टवेयर में इन वाहनों की स्वस्थता समाप्ति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध थी, सम्बन्धित स००३०३०/स००३०३० इन प्रकरणों का संज्ञान लेने में विफल रहे। जहाँ स्वस्थता समाप्त हो चुकी थी, वाहन स्वामियों को कर भुगतान से रोकने हेतु साफ्टवेयर में विशिष्ट गुण उपलब्ध नहीं था।

⁵ उ०प्र० अधिसूचना स० 1452 / 30-4-10-172 / 89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा।

⁶ स००३०३०: आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बॉदा, बस्ती, गोण्डा, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं स००३०३०: बलरामपुर, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बाराबंकी, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, फरुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, जैपी० नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, सन्त कबीर नगर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सन्त रविदास नगर एवं सुल्तानपुर।

सम्बन्धित स०प०अ०/स०स०प०अ० (प्रशासन) ने न तो चूककर्ता वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किये और न ही इन वाहनों के परमिट को निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ की। ऐसे वाहनों के दुरुपयोग के संभाव्य जोखिमों के साथ संभाव्य संचालन लोक सुरक्षा के प्रति समझौता भी था। स०प०अ०/स०स०प०अ० (प्रवर्तन) भी अपनी जाँच के दौरान इन वाहनों का पता लगाने और सड़क पर संचालन रोकने में विफल रहे। परिणामस्वरूप शासन स्वस्थता शुल्क ₹ 54.28 लाख एवं शास्ति ₹ 3.94 करोड़ से बंचित रहा।

विभागीय प्राधिकारियों के साथ समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि 13 स०प०अ०/स०स०प०अ० द्वारा 1,656 प्रकरणों में धनराशि ₹ 10.18 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में माँग-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

संस्तुति:

विभाग को साफ्टवेयर में तंत्र जनित चेतावनी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना वाहनों के संचालन को रोक सके।

6.4 कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण

परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर सम्भावित संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभार में निरुद्ध 836 माल वाहनों पर कैरिज बाई रोड (सी०बी०आर०) अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति ₹ 1.85 करोड़ भी आरोपित नहीं किया तथा इन अपंजीकृत सामान्य वाहकों पर ₹ 33.44 लाख अर्थदण्ड के आरोपण में भी विफल रहा।

सी०बी०आर० 2007 अधिनियम, 2007 अतिभारित मोटर वाहनों (माल) पर मो०या० अधिनियम के अधीन निर्धारित शास्ति का आरोपण इस तथ्य के होते हुए भी प्रावधानित करता है कि इस प्रकार के वाहनों पर पहले ही यह शास्ति अधिरोपित एवं वसूल की जा चुकी है।

सी०बी०आर० अधिनियम यह भी प्रावधानित करता है कि व्यापार में संलिप्त कोई अपंजीकृत सामान्य वाहक⁷, अपराध के लिए अर्थदण्ड ₹ 4,000⁸ प्रति अपराध से दण्डनीय होगा।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2014–15 से 2015–16 में सी०बी०आर० अधिनियम के अन्तर्गत 3,216 अतिभार वाहनों पर शास्ति का आरोपण न किये जाने के कारण सतत् शासकीय राजस्व क्षति ₹ 8.08 करोड़ को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने 35⁹ स०प०अ०/स०स०प०अ० के अभिलेखों की नमूना जाँच की। अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 के दौरान माल वाहनों के अतिभार के 10,092 में से 836 प्रकरणों में लेखापरीक्षा ने देखा कि सम्बन्धित

⁷ सामान्य वाहक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो माल की रसीद पर माल वाहक द्वारा ढोये जाने वाले माल के संग्रहण, भेंडारण, अग्रेषण व वितरण के व्यवसाय में लिप्त हैं और जिसमें माल बुकिंग कम्पनी, ठेकेदार, अभिकर्ता, दलाल तथा कोरियर सेवा सम्मिलित हैं जो प्रपत्रों/माल/वस्तुओं को किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवायें लेते हुए ऐसे प्रपत्रों, माल व वस्तुओं को दरवाजे-दरवाजे पहुँचाने में लिप्त हैं।

⁸ उ०प्र० 2014 अधिसूचना सं 7 / 800 / 30–4–2014–172 / 89 दिनांक 5 जून 2014।

⁹ स०प०अ०: आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बॉदा, बरेली, बस्ती, गोप्ता, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा स०स०प०अ०: औरेया, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जैफी० नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सन्त कबीर नगर, सन्त रविदास नगर, शाहजहाँपुर, सीतापुर एवं सुल्तानपुर।

स०प०अ०/स०स०प०अ० (प्रवर्तन), असुरक्षित वाहनों के सड़क पर सम्भावित संचालन को रोकने में विफल रहे तथा सी०बी०आर० अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 1.85 करोड़ की शास्ति¹⁰ जो कि मो०या० अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित शास्ति की धनराशि के समतुल्य थी, के आरोपण में भी विफल रहे। विभाग ऐसे अपंजीकृत सामान्य वाहकों पर ₹ 33.44 लाख अर्थदण्ड का आरोपण करने में भी विफल रहा।

विभागीय प्राधिकारियों के साथ समापन गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में विभाग ने बताया कि ये वाहन सामान्य वाहक के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे, इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है। सभी स०प०अ०/स०स०प०अ० को इस तरह के व्यापार में संलिप्त संस्थाओं को पंजीकृत करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग न केवल सामान्य वाहक के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों को पंजीकृत करने में विफल रहा बल्कि प्रतिवेदित प्रकरणों में सी०बी०आर० अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड/शास्ति का आरोपण करने में भी विफल रहा।

संस्तुति:

विभाग को अतिभारित माल वाहनों पर सी०बी०आर० अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति के आरोपण को सुनिश्चित करना चाहिए।

6.5 जे०एन०एन०यू०आर०एम० बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया गया

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 210 जे०एन०एन०यू०आर०एम० बसों पर ₹ 1.95 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा०प०उ०) का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ०प्र०मो०या०क० 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा०प०उ० के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2013–14 से 2014–15 में 1,517 चूककर्ता वाहनों पर अतिरिक्त कर के अनारोपण से सतत् शासकीय राजस्व क्षति ₹ 85.25 करोड़ को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने स०प०अ० इलाहाबाद एवं मेरठ के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि अक्टूबर 2015 से जनवरी 2017 के मध्य नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत 244 जे०एन०एन०यू०आर०एम०¹¹ बसों में से 210 बसें इन नगरों के निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहीं थीं, जिसके लिए ये ₹ 1.95 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान की दायी थीं। सम्बन्धित स०प०अ०, रा०प०उ० को अतिरिक्त कर के आरोपण हेतु नोटिस जारी करने एवं ऐसे वाहनों को निरुद्ध करने में विफल रहे। उन्होंने रा०प०उ० को इन वाहनों का अतिरिक्त कर जमा न करने पर वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किये। परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के अतिरिक्त कर की वसूली नहीं की जा सकी।

¹⁰ न्यूनतम अर्थदण्ड दो हजार रुपये व एक हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि अधिभार के प्रति टन पर।

¹¹ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन।

विभाग ने समाप्त गोष्ठी (अक्टूबर 2017) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित वाहनों से अतिरिक्त कर की वसूली हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।

(ब) स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

6.6 कर प्रशासन

राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा०स्टा० अधिनियम) 1899, निबन्धन अधिनियम 1908, तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों जैसे कि उत्तर प्रदेश में लागू हैं, के अनुसार नियन्त्रित किया जाता है। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार विलेखों का मूल्यांकन किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (स०नि०नि०), स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं। वह निबन्धन कार्य के प्रबन्धन तथा अधीक्षण हेतु अधिकृत हैं। उनकी सहायता क्रमशः जिला/मुख्यालय स्तर पर 92 सहायक महानिरीक्षकों (स०म०नि०) तथा तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धकों (उ०नि०) द्वारा की जाती है।

6.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की 354 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 140 (40 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। विभाग ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 12,403.72 करोड़ (स्टाम्प शुल्क : ₹ 7,606.08 करोड़ एवं निबन्धन फीस तथा अन्य प्राप्तियां : ₹ 4,797.64 करोड़) संग्रहीत किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा ₹ 4,755.59 करोड़ (38 प्रतिशत) संग्रहीत किया गया। लेखापरीक्षा ने 450 प्रस्तरों में ₹ 12.58 करोड़ की कमियों एवं अनियमितताओं को पाया, जैसा कि सारणी-6.3 में वर्णित है।

सारणी-6.3

क्र०सं०	श्रेणीयाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	49	0.64	5.09
2.	विलेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	334	11.51	91.49
3.	अन्य अनियमिततायें	67	0.43	3.42
योग		450	12.58	

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा वर्ष 1990–91 से 2015–16 में इंगित अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 27 मामलों में ₹ 9.28 लाख की वसूली की गयी।

इस अध्याय में ₹ 6.05 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 157 मामलों को निर्दर्शित किया गया है। इन अनियमितताओं में, आवासीय भूमि का मूल्यांकन कृषि दर से किये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण विगत पाँच वर्षों में लगातार प्रतिवेदित की गयी हैं, जैसा सारणी-6.4 में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

सारणी-6.4

प्रेक्षण का प्रकार	(₹ करोड़ में)											
	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	
	मामले	धनराशि		मामले	धनराशि		मामले	धनराशि		मामले	धनराशि	
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	103	3.12	64	2.43	97	4.35	194	7.78	214	9.66	672	27.34

संस्तुति:

विभाग को कमियों को नियन्त्रित करने के लिये उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों को रोका जा सके।

6.8 अधिनियमों/नियमों का अनुपालन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा०स्टा० अधिनियम) 1899, निबन्धन अधिनियम 1908, और इसके अधीन बनाये गये उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 प्रावधानित करता है :

- (i) निबन्धन फीस का निर्धारित दर पर भुगतान; और
- (ii) निष्पादकों द्वारा स्टाम्प शुल्क का निर्धारित दर पर भुगतान।

विभागीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में विफलता को नीचे प्रदर्शित किया गया है :

6.9 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

विभाग द्वारा प्रेरणा साफ्टवेयर का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2.93 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 32.14 करोड़ में गलत ढंग से निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 134.57 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.05 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा०स्टा० अधिनियम, 1899 निर्धारित करता है कि हस्तान्तरण विलेख पर सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन (म०नि०नि०) ने जून 2003 में जारी दिशानिर्देशों द्वारा स्पष्ट किया था कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से एक ही आराजी¹² संख्या की सम्पत्ति को भिन्न उद्देश्यों के लिए एक से अधिक टुकड़ों यथा एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि में नहीं बाँटा जाना चाहिए।

¹² आराजी, खसरा और गाटा संख्या एक ही हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित भूखण्ड की एक विशेष संख्या को दर्शाते हैं।

प्रेरणा¹³ साफ्टवेयर में किसी खसरे में बिक्रीत भूमि का विवरण पाने के लिए खसरा आधारित खोज की सुविधा उपलब्ध थी। तथापि, इस विशेषता का उपयोग उप निबन्धकों द्वारा नहीं किया गया।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के प्रतिवेदनों में उ0नि0 द्वारा आवासीय भूमि का मूल्यांकन कृषि दर से करने के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के कम आरोपण ₹ 27.34 करोड़ के 672 मामलों को प्रदर्शित किया गया था।

विभाग द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक उपायों के मूल्यांकन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा 140 उप निबन्धक कार्यालयों (उ0नि0का0) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा 69¹⁴ उप निबन्धक कार्यालयों में कृषि दर से बिक्रीत भूमि के पंजीकृत 61,797 विलेखपत्रों में से 157 विलेखपत्रों की नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 32.14 करोड़ मालियत की 2.93 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि का निबन्धन म0नि0नि0 के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कृषि दर से किया गया, जिस पर स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस ₹ 2.21 करोड़ आरोपित किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उसी आराजी संख्या का भाग, पूर्व में ही अथवा उसी दिन आवासीय दर से विक्रय किया गया था। अतः उक्त बिक्रीत भूखण्डों का मूल्यांकन भी ₹ 134.57 करोड़ की मालियत पर आवासीय दर से करते हुए ₹ 8.26 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के साथ किया जाना चाहिए था। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन तथा प्रेरणा साफ्टवेयर की विशेषता के कमतर उपयोग के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 6.05 करोड़ का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट-V)।

समापन गोष्ठी (सितम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और प्रकरणों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन हेतु कलेक्टर, स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया। कलेक्टर स्टाम्प ने प्रेक्षण की पुष्टि की और 19 प्रकरणों में ₹ 30.39 लाख का स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जिसमें से विभाग ने 11 उप निबन्धक कार्यालयों के 13 प्रकरणों में ₹ 10.54 लाख की वसूली की। छ: प्रकरणों में विभाग द्वारा वसूली प्रमाण—पत्र जारी किए गए। शेष 138 प्रकरणों में कार्यवाही लम्बित थी।

संस्तुति:

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को सम्पत्ति का सही मूल्यांकन और प्रेरणा साफ्टवेयर की विशेषताओं का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

¹³ निबन्धन प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रेरणा (सम्पत्ति मूल्यांकन और निबन्धन प्रायोज्यता) साफ्टवेयर विभाग द्वारा 1 अगस्त, 2006 से लागू किया गया।

¹⁴ आगरा—उ0नि0 सदर प्रथम, द्वितीय, एत्मादपुर, खैरागढ़ और फोहोराबाद। इलाहाबाद—सदर प्रथम, द्वितीय, हंडिया, करछना और फूलपुर। औरेया—विधुना। आजमगढ़—सदर, निजामाबाद और सगड़ी। बदायूँ—सदर द्वितीय। बहराइच—कैसरगंज। बाराबंकी—हैदरगढ़। बरेली—सदर द्वितीय। बरती—सदर। बुलन्दशहर—सदर द्वितीय, खुर्जा और अनूपशहर। चन्दौली—सदर। देवरिया—रूदपुर। फरुखाबाद—सदर और कायमगंज। फिरोजाबाद—सदर प्रथम, द्वितीय, शिकोहाबाद और टूण्डल। गाजियाबाद—सदर प्रथम। गाजीपुर—सदर और जमनिया। गोरखपुर—सदर प्रथम, द्वितीय, चौरीचौरा, गोलाबाजार और सहजनवा। हाथरस—सदर। जौनपुर—सदर, मछलीशहर, मडियाहूं और शाहगंज। झांसी—सदर द्वितीय। कानपुर नार—सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बिल्हौर और घाटमपुर। कासगंज—सदर। कुशीनगर—सदर, हाटा और कसया। लखीमपुरखीरी—गोला गोकरण। लखनऊ—मलिहाबाद। महाराजगंज—सदर। मऊ—सदर। मेरठ—सदर चतुर्थ। मिर्जापुर—चुनार। मुजफ्फरनगर—सदर प्रथम। प्रतापगढ़—सदर और पट्टी। रामपुर—बिलासपुर। शाहजहाँपुर—जलालाबाद। सिद्धार्थनगर—बांसी। सीतापुर—सिधौली। सोनभद्र—राबर्ट्सगंज और वाराणसी—सदर प्रथम।

अध्याय—7
खनन प्राप्तियाँ
(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय-7: खनन प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया-कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा० एवं ख० वि० और वि०) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ०प्र०उ०ख०प०) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। जनपद स्तर पर जिला खान अधिकारी देय एवं भुगतान योग्य रायल्टी, भाटक, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

7.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कुल 75 लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों में से 20¹ इकाइयों (27 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 1,222.17 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया गया था, जिसमें से लेखापरीक्षा में आच्छादित इकाइयों द्वारा ₹ 605.50 करोड़ (50 प्रतिशत) का संग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियों के कारण ₹ 496.11 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 108 प्रस्तर प्रकाश में आये, जैसा सारणी-7.1 में वर्णित है।

सारणी-7.1

(₹ करोड़ में)				
क्र० सं०	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1	रायल्टी न/कम वसूल किया जाना	17	7.40	1.49
2	ब्याज/अर्थदण्ड का अनारोपण	17	20.75	4.18
3	खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना	39	444.65	89.63
4	अन्य अनियमिततायें	35	23.31	4.70
योग		108	496.11	

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना)

इस अध्याय में ₹ 307.95 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 2,671 मामलों को निर्दर्शित किया गया है। इनमें से कुछ अनियमितताएं विगत पाँच वर्षों से लगातार प्रतिवेदित हो रही हैं जैसा सारणी-7.2 में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किये गये। अतः विभाग अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकता है कि वे अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन कर रही हैं।

सारणी-7.2

प्रेक्षण का नाम	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि								
खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना	—	—	15	0.37	221	13.92	311	13.98	3,491	476.06	4,038	504.33
पर्यावरण मंजूरी (प०म०) के बिना खनिजों का उत्खनन	—	—	—	—	—	—	—	—	4	66.90	4	66.90
पर्यावरण मंजूरी के बिना ईंट मिटटी का उत्खनन	—	—	—	—	—	—	—	—	2,909	66.80	2,909	66.80

¹ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा जिला खान कार्यालय : इलाहाबाद, बदायूँ बागपत, बाँदा, जी०बी०नगर, झांसी, हाथरस, कौशाम्बी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सोनभद्र और उन्नाव।

प्रेक्षण का नाम	(₹ करोड़ में)											
	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		योग	
मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	
ईंट भट्ठा ख्यामियों से रायल्टी एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली न किया जाना	3,684	15.15	1,655	10.22	412	3.87	1,430	6.84	39	0.25	7,220	36.33
बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन	2	0.13	9	18.82	123	198.93	7	3.08	73	252.95	214	473.91
आधिक उत्खनन	22	77.87	4	7.08	18	46.81	—	—	12	29.27	56	161.03

संस्तुतियाँ:

- विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार प्रतिवेदित कमियों को पुनः न दोहराया जाय।
- विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अधिक धनराशि के न/कम वसूली किये गये मामलों में वसूली सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण के लिए अधिक प्रभावी उपायों को आरम्भ करना चाहिए।

7.3 खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया

विभाग ने एम०एम०–११ प्रस्तुत नहीं करने के लिये सिविल कार्य करने वाले 1,181 ठेकेदारों से खनिज मूल्य की धनराशि ₹ 191.02 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.95 करोड़ वसूल नहीं किया।

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 अनुबन्धित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परिवहन पास (एम०एम०–११²) के किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा०एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम अनुबन्धित करता है कि वैध प्राधिकार के बिना उपखनिजों के उठान पर रायल्टी के साथ खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में यह दोहराया गया था, कि यदि ठेकेदार रायल्टी रसीद को प्रपत्र एम०एम०–११ में प्रस्तुत नहीं करता है तो रायल्टी के अलावा, खनिज का मूल्य (सामान्यतया रायल्टी का पाँच गुणा) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी और राजकोष में जमा किया जायेगा। अग्रेतर, उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए प्रावधानित करता है जिसमें छः माह तक का कारावास या ₹ 25,000 तक की शास्ति अथवा दोनों आकृष्ट होते हैं।

वर्ष 2012–13 से 2015–16 के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 4,038 ठेकेदारों से खनिज मूल्य ₹ 504.33 करोड़ की वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व की सतत हानि उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 15³ जिला खान कार्यालयों (जि०खा०का०) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। यह देखा गया कि अप्रैल 2014 से फरवरी 2017 के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों से 1,181 निर्माण कार्य कराये गये। इन समस्त प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ एम०एम०–११ प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्यदायी संस्थाओं ने बिलों से रायल्टी ₹ 38.20 करोड़ की कटौती की और धनराशि को कोषागार में जमा किया। तथापि, सम्बन्धित जि०खा०का० प्रकरण में कोई

² खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास (रवन्ना)। इसमें पट्टे धारक का नाम और पता, उपखनिज की प्रकृति एवं मात्रा तथा इसे परिवहन किये जाने वाले वाहन का पंजीयन संख्या अंकित होता है।

³ जि०खा०का० : इलाहाबाद, बदायूँ, बागपत, बाँदा, जी०बी०नगर, हाथरस, कौशाम्बी, महोबा, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सोनभद्र और उन्नाप।

कार्यवाही प्रारम्भ करने तथा खनिज मूल्य ₹ 191.20 करोड़ की वसूली करने एवं शास्ति ₹ 2.95 करोड़ के आरोपण में विफल रहे।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित जिला अधिकारियों के माध्यम से ठेकेदारों से वसूली की जानी है।

संस्तुति:

ठेकेदारों द्वारा प्रपत्र एम०एम०-११ का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने हेतु खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

7.4 पर्यावरण मंजूरी का क्रियान्वयन

खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम अनुबन्धित करता है कि खनन संक्रियाएँ इस अधिनियम व इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार की जायेगी। यह अग्रेतर अनुबन्धित करता है कि यदि कोई व्यक्ति वैध प्राधिकार के बिना किसी खनिज को किसी भूमि से उठाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को वापस प्राप्त कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज को पूर्व में ही निस्तारित कर दिया गया हो, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकती है। उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली के अन्तर्गत कुल रायल्टी, खनिजों के खनिमुख मूल्य⁴ के 20 प्रतिशत की दर से अनधिक निर्धारित की गयी है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (प०सं०अ०), 1986 अनुबन्धित करता है कि जो भी इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक विफलता के लिये कारावास जो पॉच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या शास्ति, जो एक लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

7.4.1 पर्यावरण मंजूरी (प०म०) के बिना खनिजों का उत्खनन

बिना प०म० के 4.31 लाख घनमीटर उपखनिजों के उत्खनन पर चार पट्टाधारकों से खनिज मूल्य ₹ 33.75 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया गया (मई 2011 एवं मार्च 2012) कि खनन पट्टाधारक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प० एवं व०म०) से प०म० प्राप्त करेंगे। यदि कोई पट्टाधारक⁵ प०म० के बिना खनिजों का उत्खनन करता है तो यह अवैध खनन माना जायेगा तथा अधिनियम के अन्तर्गत वह रायल्टी, खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड का दायी होगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 में चार प्रकरणों में बिना पर्यावरण मंजूरी के खनिजों के उत्खनन पर शासकीय राजस्व की सतत हानि ₹ 66.90 करोड़ उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान दो⁶ जि०खा०का० के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी और नमूना जाँच किये गये 61 में से चार प्रकरणों में देखा कि पट्टाधारकों द्वारा जनवरी 2016 और मार्च 2017 के मध्य 4.31 लाख घनमीटर खनिजों (मोरम एवं गिट्टी) का उत्खनन बिना प०म० प्राप्त किये किया गया एवं ₹ 6.75 करोड़ रायल्टी का भुगतान किया गया। बिना प०म० के खनिजों का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। सम्बन्धित जि०खा०का०

⁴ "खनिमुख मूल्य" का अर्थ है "गड्ढे के मुखारबिन्दु पर या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिजों का विक्रय मूल्य"।

⁵ खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार और पट्टे में निर्दिष्ट क्षेत्रों में खनन संक्रियायें करने के लिए अधिकृत व्यक्ति।

⁶ जि०खा०का० : बाँदा और सोनभद्र।

द्वारा न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी और न ही खनिज मूल्य (देय रायल्टी का पाँच गुना) ₹ 33.75 करोड़ की वसूली की गयी। अग्रेत्तर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर प्रत्येक पट्टाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने बताया कि धारा 21(5) अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन पर लागू होता है। खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम में प० मं० के बिना खनिजों के उत्खनन पर खनिज मूल्य की वसूली का प्रावधान नहीं है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कोई भी खनन पट्टा प्रदान करने के लिए प०मं० प्राप्त करना प०सं०अ० द्वारा लगायी गयी एक आवश्यक शर्त है। अग्रेत्तर, खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 4 के अनुसार इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार खनन संक्रियाएं की जायेंगी। इस प्रकार बिना प०मं० के उत्खनन अवैध और अनधिकृत है जो खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम का उल्लंघन है। अनधिकृत उत्खनन खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकृष्ट करता है।

संस्तुति:

विभाग को अवैध खनन को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक पर्यावरण मंजूरी के बिना खनिजों का उत्खनन न किया जाए।

7.4.2 पर्यावरण मंजूरी के बिना ईंट मिट्टी का उत्खनन

बिना प०मं० के संचालित 1,131 ईंट भट्टों से खनिज मूल्य के बराबर शास्ति की धनराशि ₹ 62.27 करोड़ वसूल नहीं किया गया।

प० एवं व० मं० ने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जून 2013 द्वारा ईंट मिट्टी के खनन को बी-2 श्रेणी⁷ में श्रेणीबद्ध किया गया था, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (रा०प०प्र०म०प्रा०) से प०मं० प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 2,909 ईंट भट्टों द्वारा बिना प०मं० के ईंट मिट्टी के उत्खनन के कारण शासन को धनराशि ₹ 66.80 करोड़ की राजस्व क्षति उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन (जुलाई 2016) के मूल्यांकन के लिये लेखापरीक्षा ने 2016–17 के दौरान छः⁸ जि०खा०का के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि नमूना जाँच किये गये 1,207 में से 1,131 ईंट भट्टों ने प०मं० प्राप्त किये बिना वर्ष 2014–15 से 2015–16 के दौरान ईंट भट्टों का संचालन किया और रायल्टी ₹ 12.45 करोड़ का भुगतान किया। बिना प०मं० के ईंट मिट्टी का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता था। सम्बन्धित जि०खा०का० ने न तो व्यापार को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की और न ही खनिज मूल्य के बराबर शास्ति धनराशि ₹ 62.27 करोड़ वसूल किये। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर प्रत्येक भट्टा मालिक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी नहीं आरोपित किया गया।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने बताया कि वर्तमान में, राज्य में अधिकांश ईंट भट्टों द्वारा प०मं० प्राप्त कर ली गयी है। खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम, 1957 में बिना प०मं० के ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिये खनिज मूल्य की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ईंट भट्टों के संचालन

⁷ पाँच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल तक 'ईंट मिट्टी' और 'साधारण मिट्टी' की खुदाई की गतिविधियों को संभावित प्रभावों की स्थानीय सीमा और मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों के आधार पर बी-2 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया।

⁸ जि०खा०का०: बदायूँ, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर।

के लिये प०मं० एक आवश्यक शर्त है। बिना प०मं० के कोई उत्खनन अवैध और अनधिकृत उत्खनन है तथा खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन है। अनधिकृत उत्खनन खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकृष्ट करता है।

संस्तुति:

विभाग को खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना चाहिए तथा बिना पर्यावरण मंजूरी के ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिये शास्ति की वसूली करनी चाहिये।

7.5 ईंट भट्टा स्वामियों से रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना—पत्र शुल्क वसूल नहीं किया गया

353 ईंट भट्टा स्वामियों द्वारा रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना—पत्र शुल्क का भुगतान राजकोष में नहीं किया गया था, यद्यपि यह ए०मु०स० योजना में निर्दिष्ट था। इसके परिणामस्वरूप रायल्टी ₹ 6.28 करोड़, ब्याज ₹ 31.08 लाख तथा अनुज्ञा प्रार्थना—पत्र शुल्क ₹ 7.06 लाख वसूल नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित ईंट भट्टों के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ए०मु०स०यो०), अनुज्ञा प्रार्थना—पत्र शुल्क के साथ निर्धारित दरों पर रायल्टी की समेकित धनराशि के भुगतान के लिये प्रावधानित करती है। इसके अतिरिक्त, ए०मु०स०यो० रायल्टी, शुल्क या शासन को देय अन्य धनराशि के बिलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रभारण भी प्रावधानित करती है। वर्ष 2015–16 के ए०मु०स०यो० में ईंट बनाने में प्रयुक्त होने वाली पलोथन⁹ मिट्टी के लिये रायल्टी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आरोपित किया जाना था।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 7,220 ईंट भट्टों से रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना—पत्र शुल्क वसूल न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व धनराशि ₹ 36.33 करोड़ की सतत हानि उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिये गये आश्वासनों (जुलाई 2016) का मूल्यांकन करने हेतु, लेखापरीक्षा ने 2016–17 के दौरान पाँच¹⁰ जिऽखा०का के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि नमूना जाँच किये गये 1,140 में से 353 ईंट भट्टों ने ईंट भट्टा वर्ष¹¹ 2013–14 से 2015–16 के लिये कोई रायल्टी और अनुज्ञा प्रार्थना—पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। 31 मार्च 2017 को आगणित विलम्ब 912 से 1,277 दिनों के मध्य था। सम्बन्धित जिऽखा०का ने न तो व्यवसाय को रोकने की कार्यवाही शुरू की और न ही देय रायल्टी ₹ 6.28 करोड़, ब्याज ₹ 31.08 लाख और अनुज्ञा प्रार्थना—पत्र शुल्क ₹ 7.06 लाख की वसूली के लिये कोई प्रयास किया।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित ईंट भट्टा स्वामियों से वसूली करने के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

संस्तुति:

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में सभी ईंट भट्टा स्वामी प्रवृत्त वर्ष में लागू ए०मु०स०यो० के प्रावधानों का पालन करें। ईंट भट्टा स्वामियों से बकाया रायल्टी वसूल किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

⁹ बलुर्झ मिट्टी।

¹⁰ जिऽखा०का० : बागपत, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर और उन्नाव।

¹¹ अक्टूबर से सितम्बर।

7.6 अनधिकृत उत्खनन

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 अनुबन्धित करता है कि खनन संक्रियायें, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना, के अनुसार की जायेंगी।

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम अनुबन्धित करता है कि यदि कोई व्यक्ति वैध प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से उठाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को वापस प्राप्त कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज को पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका हो, रायल्टी के साथ उसका मूल्य वसूल कर सकती है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अन्तर्गत कुल रायल्टी, खनिजों के खनिमुख मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से अनधिक निर्धारित की गयी है।

7.6.1 बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन

पट्टाधारक ने अनुमोदित खनन योजना के बिना 2.06 लाख घनमीटर बालू/मोरम का उत्खनन किया था जिसके लिये उससे ₹ 7.71 करोड़ वसूल किया जाना था।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 214 पट्टाधारकों से अनुमोदित खनन योजना¹² के बिना खनिजों के उत्खनन के लिये खनिज मूल्य की वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व धनराशि ₹ 473.91 करोड़ की सतत हानि उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा ने 2016–17 के दौरान जि�0खा0का0 बाँदा के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि परीक्षण किये गये पाँच प्रकरणों में से एक में, पट्टाधारक ने दिसम्बर 2013 से जून 2014 की अवधि के दौरान बिना अनुमोदित खनन योजना के 2.06 लाख घनमीटर बालू/मोरम का उत्खनन किया था। इस अवधि के दौरान पट्टाधारक ने रायल्टी के रूप में ₹ 1.54 करोड़ का भुगतान किया। पट्टाधारक द्वारा उत्खनित खनिज अनधिकृत था, और इसलिये रायल्टी के मूल्य के पाँच गुणा के बाराबर उत्खनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 7.71 करोड़, उससे वसूलनीय था। क्रमिक खनन आँकड़े होने के बावजूद जि�0खा0अ0 ने पट्टाधारक को एम0एम0–11 प्रपत्र आपूर्ति करके उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपर्यन्त के अनधिकृत उत्खनन की अनुमति प्रदान की।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने बताया कि यह मामला अवैध खनन का नहीं है क्योंकि पट्टाधारक वैध परमिट धारक था एवं वैध प्राधिकार के साथ खनिजों का उत्खनन कर रहा था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी पट्टे में अनुमोदित खनन योजना एक आवश्यक शर्त है। अनुमोदित खनन योजना के बिना कोई उत्खनन अवैध और अनधिकृत उत्खनन है तथा खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन है। अनधिकृत उत्खनन खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकृष्ट करता है।

7.6.2 अतिरिक्त उत्खनन

पट्टाधारक ने अनुमोदित खनन योजना से अधिक 44,928 घनमीटर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर का उत्खनन किया जिसके लिये उससे ₹ 3.59 करोड़ वसूल किया जाना था।

वर्ष 2011–12 से 2013–14 और 2015–16 के विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 56 पट्टाधारकों से अनुमोदित खनन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक खनिजों के

¹² उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) के अधीन वार्षिक विकास योजनाओं के विवरण युक्त खनन संक्रियाओं के संचालन के लिये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से यथोचित अनुमोदित एक योजना।

उत्थनन के लिये खनिज मूल्य की वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व धनराशि ₹ 161.03 करोड़ की सतत हानि उजागर की गयी थी।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने के लिये लेखापरीक्षा ने 2016-17 के दौरान जिरोखाइका महोबा के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि नमूना जाँच किये गये 25 प्रकरणों में से एक में, पट्टाधारक ने अगस्त 2016 से फरवरी 2017 की अवधि के दौरान अनुमोदित खनन योजना में अनुमन्य मात्रा से अधिक 44,928 घनमीटर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर का उत्थनन किया और उत्थनित सामग्री की रायल्टी ₹ 71.88 लाख का भुगतान किया। पट्टाधारक द्वारा उत्थनित खनिज अनधिकृत था, और इसलिये उत्थनित खनिज का मूल्य धनराशि ₹ 3.59 करोड़, जो रायल्टी के मूल्य के पाँच गुण के बराबर था, पट्टाधारक से वसूलनीय था। क्रमिक खनन आँकड़े होने के बावजूद जिरोखाइका ने पट्टाधारक को एमोएमो-11 प्रपत्र आपूर्ति करके उम्प्रोजेक्टों नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपखनिज के अनधिकृत उत्थनन की अनुमति प्रदान की।

समापन गोष्ठी (नवम्बर 2017) में विभाग ने बताया कि यह दृष्टांत अवैध खनन का मामला नहीं हैं क्योंकि पट्टाधारक वैध परमिट धारक था एवं वैध प्राधिकार के साथ खनिजों का उत्थनन कर रहा था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित मात्रा से अधिक खनन संक्रिया अवैध और अनधिकृत उत्थनन है और खाइका एवं खाइका (विरो और विरो) अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन है। अनधिकृत उत्थनन खाइका एवं खाइका (विरो और विरो) अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकृष्ट करता है।

संस्तुति:

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदित खनन योजना में अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिज का उत्थनन न किया जाए।

(सौरभ नारायण)

महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),

उत्तर प्रदेश

लखनऊ

दिनांक

11 जनवरी 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक 18 January, 2019

(राजीव महाजन)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट—I
प्राप्तियों का रुक्धान
(सन्दर्भ प्रस्तर सं 3.2.3)

(यह परिशिष्ट महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र का हिन्दी अनुवाद है)



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
 कार्यालय महालेखाकार
 (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उ०प्र०
 "आडिट भवन," टी०सी०-३५-वी०-१ विभूति खण्ड
 गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०

एफ०सं०:म०ले०(आ०एवंरा०क्षे०ले०प०) / उ०प्र० / म०ले०प्रकोष्ठ / २०१८-१९ / ९७
 दिनांक: ०९.०८.२०१८

सेवा में,

मुख्य सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन,
 लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

विषय: राजस्व अनुमानों के निर्धारण से सम्बन्धित बजट पत्रावलियों तक पहुँच।

महोदय,

कृपया उपरोक्त उद्घृत विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें। राजस्व शीर्षों से सम्बन्धित बजट अनुमानों (ब०अ०) के निर्धारण हेतु वित्त विभाग द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रभावशीलता जानने के लिये इस कार्यालय ने वित्त विभाग से वर्ष 2016-17 की बजट पत्रावलियों को उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क किया था। यद्यपि इस कार्यालय के लेखापरीक्षकों की विभिन्न पृच्छाओं का उत्तर वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेखों एवं पत्रावलियों को उपलब्ध नहीं कराया गया।

2. बजट फाइलों तक पहुँच के मुददे को हल करने के लिए अधोहस्ताक्षरी ने 23 जुलाई 2018 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के साथ बैठक भी की थी। फिर भी विभाग ने प्रासंगिक पत्रावलियों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की थी। परिणामस्वरूप, यह कार्यालय वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व शीर्षों से सम्बन्धित ब०अ० को तैयार करने में अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं प्राप्त कर सका।

3. इस प्रकरण को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के कार्यालय को यथोचित रूप से सूचित किया गया। भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने अब इस कार्यालय को सूचित किया है कि पत्रावलियों को प्रस्तुत न करने की वजह से 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस पर टिप्पणी करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यह आपकी जानकारी में लाया जा रहा है।

4. इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान के प्रावधानों एवं नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के डी०पी०सी० एकट, 1971 की धारा 18(1)(ब) के अनुसार नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को अपनी जाँच से सम्बन्धित किसी भी अभिलेखों, लेखों एवं अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने का संवैधानिक अधिदेश प्राप्त है। अग्रेतर इस स्थिति को लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 के विनियम 181 में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक इकाई ऐसी प्रणाली विकसित करे जो नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को आँकड़े, सूचना एवं अन्य अभिलेखों को निर्बाध रूप एवं समय से दे सके। अतः अभिलेखों का कोई भी अप्रस्तुतिकरण एक प्रणाली की मजबूती के लिए खतरे को उत्पन्न करता है, जिसे लेखापरीक्षा को सम्बन्धित अभिलेखों तक पहुँच की अनुमति देकर अंततः आसानी से रोका जा सकता है।

भवदीय

—८०—
 (सौरभ नारायन)
 महालेखाकार

परिशिष्ट-II
कर की गलत दर लगाया जाना
(सन्दर्भ प्रस्तर सं 5.3.1)

(रैलाख में)							
क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	डिओकमि० खण्ड 10 आगरा	1	2012–13 (फरवरी 2016)	कोल्ड ड्रिंक (V)	12.70	13.5 / 5	1.08
2	वा०क०आ० खण्ड 17 आगरा	1	2009–10 (अप्रैल 2012)	सैनिटरी गुड्स (V)	1.05	12.5 / 4	0.09
				सैनिटरी गुड्स (V)	11.37	13.5 / 4.5	1.02
				सैनिटरी गुड्स (V)	1.87	13.5 / 5	0.16
3	ज्या०कमि०(का०सा०) इलाहाबाद	1	2013–14 (मई 2015)	वारन्टी क्लेम (V)	12.55	14 / 0	1.76
4	डिओकमि० खण्ड 1 बाँदा	1	2011–12 (फरवरी 2016)	मैरी (V)	11.11	13.5 / 5	0.94
			2012–13 (फरवरी 2016)	सोडा वाटर (V)	14.86	13.5 / 5	1.26
5	असि०कमि० खण्ड 4 बाराबंकी	1	2011–12 (जुलाई 2016)	मशीनरी पार्ट्स (V)	34.68	13.5 / 5	2.95
6	असि०कमि० खण्ड 3 फतेहपुर	1	2009–10 (अप्रैल 2012)	मशीनरी पार्ट्स (V)	4.33	12.5 / 4	0.37
				मशीनरी पार्ट्स (V)	15.43	13.5 / 4.5	1.39
				मशीनरी पार्ट्स (V)	14.17	13.5 / 5	1.20
7	डिओकमि० खण्ड 2 गाजियाबाद	1	2012–13 (जून 2015)	मशीनरी पार्ट्स (V)	644.40	13.5 / 5	54.77
			2011–12 (फरवरी 2015)	इलेक्ट्रानिक मीटर (V)	12.13	13.5 / 5	1.03
			2012–13 (सितम्बर 2015)	इलेक्ट्रानिक मीटर (V)	65.53	13.5 / 5	5.57
8	डिओकमि० खण्ड 10 गाजियाबाद	1	2012–13 (मार्च 2015)	पावर टूल्स (V)	25.83	13.5 / 5	2.20
9	डिओकमि० खण्ड 18 गाजियाबाद	1	2010–11 (जनवरी 2014)	रेफ्रीजरेशन गैस (V)	147.60	13.5 / 5	12.55
			2011–12 (मार्च 2016)	रेफ्रीजरेशन गैस (V)	240.56	13.5 / 5	20.44
			2012–13 (फरवरी 2016)	रेफ्रीजरेशन गैस (V)	281.34	13.5 / 5	23.91
10	असि०कमि० खण्ड 8 झाँसी	1	2009–10 (नवम्बर 2013)	मशीनरी एवं इंजन पार्ट्स (V)	2.13	12.5 / 4	0.18
				मशीनरी एवं इंजन पार्ट्स (V)	9.31	13.5 / 4.5	0.84
				मशीनरी एवं इंजन पार्ट्स (V)	1.64	13.5 / 5	0.14
11	डिओकमि० खण्ड 2 कानपुर	1	2012–13 (जून 2015)	वोकन फैब्रिक्स (V)	26.64	5 / 0	1.33

(रुलाख में)							
क्रम संख्या	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
12	डिओकमिं खण्ड 17 कानपुर	1	2011–12 (जून 2015)	सी0टी0पी० प्लेट्स (V)	67.09	13.5 / 5	5.70
			2012–13 (जनवरी 2016)	सी0टी0पी० प्लेट्स (V)	131.30	13.5 / 5	11.16
13	डिओकमिं खण्ड 1 लखनऊ	1	2012–13 (मार्च 2016)	मोडेम (V)	66.12	13.5 / 5	5.62
14	डिओकमिं खण्ड 4 लखनऊ	1	2012–13 (नवम्बर 2015)	मार्जरीन (V)	66.37	13.5 / 5	5.64
			1	2012–13 (नवम्बर 2015)	प्रिन्टर पार्ट्स (V)	32.33	13.5 / 5
15	डिओकमिं खण्ड 6 मेरठ	1	2012–13 (अगस्त 2015)	प्लाई बुड (V)	82.29	14 / 5	7.41
16	डिओकमिं (सरधना मण्डल) मेरठ	1	2011–12 (दिसम्बर 2015)	बैटरी (V)	2.77	13.5 / 5	0.24
			2012–13 (मार्च 2016)	बैटरी (V)	9.31	13.5 / 5	0.79
17	डिओकमिं खण्ड 4 मुरादाबाद	1	2012–13 (अगस्त 2015)	स्टेनलेस स्टील पट्टा (II)	126.80	5 / 4	1.27
			1	2011–12 (फरवरी 2015)	स्टेनलेस स्टील पट्टा (II)	80.68	5 / 4
18	डिओकमिं खण्ड 8 नोएडा	1	2012–13 (मार्च 2016)	कोटा स्टोन (V)	7.15	13.5 / 5	0.61
				क्लैडेड मैटेरियल (V)	82.52	13.5 / 5	7.01
19	डिओकमिं खण्ड 10 नोएडा	1	2011–12 (मार्च 2015)	कूलिंग गैस (V)	67.94	13.5 / 5	5.77
20	डिओकमिं खण्ड 11 नोएडा	1	2012–13 (जुलाई 2015)	क्राकरी एवं कटलरी (V)	12.69	14 / 5	1.14
21	डिओकमिं खण्ड 8 वाराणसी	1	2012–13 (मार्च 2016)	कम्प्यूटर पार्ट्स (V)	23.37	13.5 / 5	1.99
				कम्प्यूटर पार्ट्स (V)	75.98	14 / 5	6.83
	योग	24			2,525.94		199.92

(ओत: लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना)

परिशिष्ट-III
माल का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण
(सन्दर्भ प्रस्तर सं 5.3.2)

(₹ लाख में)							
क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	न/कम आरोपित कर
1	ज्वारकमि० (का०स०) I गाजियाबाद	1	2011–12 (मार्च 2014)	मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन माना गया	61.19	13.5 / 5	5.20
			2012–13 (अप्रैल 2015)	मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन माना गया	117.35	13.5 / 5	9.97
2	डिंकमि० खण्ड 8 गाजियाबाद	1	2011–12 (सितम्बर 2014)	कटिंग टूल को बढ़ई के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला औजार माना गया	23.91	13.5 / 5	2.03
			2012–13 (दिसम्बर 2014)	कटिंग टूल को बढ़ई के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला औजार माना गया	47.28	13.5 / 5	4.02
3	डिंकमि० खण्ड 10 गाजियाबाद	1	2012–13 (मार्च 2016)	वेल्डिंग एसेसरी को वेल्डिंग उपकरण माना गया	18.12	13.5 / 5	1.54
			2012–13 (मार्च 2016)	वेल्डिंग एसेसरी को वेल्डिंग उपकरण माना गया	15.51	14 / 5	1.40
4	डिंकमि० खण्ड 12 गाजियाबाद	1	2011–12 (जनवरी 2015)	कनफेक्शनरी गुड्स को सुगर केन्डी माना गया	139.71	13.5 / 5	11.88
5	डिंकमि० खण्ड 18 गाजियाबाद	1	2011–12 (अक्टूबर 2014)	पेन झाइव, डाटा कार्ड, कैमरा एसेसरीज को कम्यूटर पार्ट्स माना गया	219.97	13.5 / 5	18.70
			1	2011–12 (मार्च 2015)	इलेक्ट्रिकल केबिल इण्डस्ट्रियल केबिल मानी गयी	37.73	13.5 / 5
6	डिंकमि० खण्ड 19 गाजियाबाद	1	2011–12 (अगस्त 2015)	टेस्टिंग मशीन साईंटिफिक उपकरण मानी गयी	34.90	13.5 / 5	2.97
7	डिंकमि० खण्ड 9 कानपुर	1	2011–12 (जनवरी 2015)	हैंड टूल को बढ़ई के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला औजार माना गया	52.97	13.5 / 5	4.50
8	डिंकमि० खण्ड 10 कानपुर	1	2012–13 (मार्च 2016)	कम्पोजिट पैनेल एल्यूमिनियम एक्सट्रॉशन माना गया	90.60	13.5 / 5	7.70

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	न/कम आरोपित कर
9	डिक्सिल खण्ड 14 कानपुर	1	2012–13 (जनवरी 2016)	मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन माना गया	49.80	13.5 / 5	4.23
				मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन माना गया	59.68	14 / 5	5.37
10	डिक्सिल खण्ड 24 कानपुर	1	2012–13 (जनवरी 2016)	मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन माना गया	73.74	13.5 / 5	6.27
				मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन माना गया	63.78	14 / 5	5.74
11	ज्याकमिल (का०स०) I लखनऊ	1	2012–13 (दिसम्बर 2015)	हेयर आयल को आयुर्वेदिक औषधि माना गया	290.08	13.5 / 5	24.66
12	ज्याकमिल (का०स०) II लखनऊ	1	2012–13 (मार्च 2016)	मोबाइल चार्जर को मोबाइल फोन माना गया	62.42	13.5 / 5	5.31
13	असिलकमिल खण्ड 5 लखनऊ	1	2012–13 (अक्टूबर 2015)	हैन्ड टूल को बढ़ई के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला औजार माना गया	14.87	13.5 / 5	1.26
14	डिक्सिल खण्ड 16 लखनऊ	1	2011–12 (जनवरी 2015)	अस्पताल के बेड एवं मेज चिकित्सकीय उपकरण माने गये	33.88	13.5 / 5	2.88
15	डिक्सिल खण्ड 7 मेरठ	1	2011–12 (अप्रैल 2015)	तैयार चाय को चाय की पत्ती माना गया	5.93	13.5 / 5	0.50
				तैयार चाय को चाय की पत्ती माना गया	2.83	13.5 / 5	0.24
				तैयार चाय को चाय की पत्ती माना गया	2.83	14 / 5	0.26
16	डिक्सिल खण्ड 5 नोएडा	1	2012–13 (मार्च 2016)	मॉडेम को आईटी० उत्पाद माना गया	797.55	13.5 / 5	67.79
17	डिक्सिल खण्ड 8 नोएडा	1	2011–12 (जून 2014)	कृत्रिम ज्वेलरी को सोने और चाँदी की ज्वेलरी माना गया	40.63	13.5 / 1	5.08
				कृत्रिम ज्वेलरी को सोने और चाँदी की ज्वेलरी माना गया	51.42	13.5 / 1	6.43
18	डिक्सिल खण्ड 10 नोएडा	1	2011–12 (नवम्बर 2014)	हैन्ड टूल को बढ़ई के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला औजार माना गया	112.17	13.5 / 5	9.53

(₹ लाख में)							
क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	न/कम आरोपित कर
19	डिक्रिमो खण्ड 11 नोएडा	1	2011–12 (मार्च 2015)	फ्लेक्सिबिल केबिल एवं टेलीफोन केबिल को इण्डस्ट्रियल केबिल माना गया	199.21	13.5 / 5	16.93
20	असिक्रिमो खण्ड 1 वाराणसी	1	2010–11 (मार्च 2014)	एडहेसिव/सीलैन्ट को केमिकल माना गया	81.52	13.5 / 5	6.93
			2011–12 (मार्च 2015)	एडहेसिव/सीलैन्ट को केमिकल माना गया	94.95	13.5 / 5	8.07
21	डिक्रिमो खण्ड 9 वाराणसी	1	2012–13 (मार्च 2016)	फेरेक्स (न्यूट्रीशन उत्पाद) को बच्चों का भोजन माना गया	1,459.30	13.5 / 5	124.04
	योग	22			4,355.83		374.64

(स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित उपलब्ध सूचना)

परिशिष्ट-IV
पुनरावृत्तीय प्रकृति की अनियमितताएं
(सन्दर्भ प्रस्तर सं 5.4)

क्र0 सं0	शीर्षक	प्रस्तर का संक्षिप्त विवरण	2016–17 के प्रेक्षण		2015–16		2014–15		2013–14		2012–13		2011–12						
			मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0					
1	उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण	क0नि0प्रा0 ने पॉच वा0क0का0 ¹ में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (जून 2012 और नवम्बर 2015 के मध्य) वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान ₹ 90.39 करोड़ के भुगतान पर चार प्रतिशत एवं छ: प्रतिशत के बजाय दो प्रतिशत एवं चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि स्वीकार किया जिसके फलस्वरूप धनराशि ₹ 3.08 करोड़ की समाधान राशि कम आरोपित हुई।	10	3.08	4.6.1.4	2	0.56	2.3.16.3	2	0.38	2.3.7.1	8	6.88	—	—	—	—	—	—
								2.5.1.4	1	0.13									

¹ डिक्रिमिं खण्ड 4 झाँसी, डिक्रिमिं खण्ड 20 कानपुर, डिक्रिमिं खण्ड 13 लखनऊ तथा डिक्रिमिं खण्ड 10 एवं 11 नोएडा।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

क्र0 सं0	शीर्षक	प्रस्तर का संक्षिप्त विवरण	₹ करोड़ में)																
			2016–17 के प्रेक्षण		2015–16				2014–15				2013–14				2012–13		
			मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि
2	स्रोत पर कर की कटौती का विलम्ब से जमा होना	क0नि0प्रा0 19 वा0क0का0 ² में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (मार्च 2013 और मार्च 2016 के मध्य) वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान स्रोत पर की गयी कर की कटौती ₹ 3.49 करोड़ को विहित समय के अन्दर न जमा करने एवं संविदाकारों को भुगतान करते समय ₹ 53.83 लाख कर की कटौती न करने के कारण व्यापारियों पर धनराशि ₹ 8.05 करोड़ का शास्ति आरोपित करने में विफल रहे।	28	8.05	4.7.2.2	14	2.98	2.3.17.3	10	3.72	2.13	28	8.74	2.12.4.1	13	2.88	2.11.5	13	1.36
								2.11	15	5.03									

² डि0कमि0 खण्ड 15 आगरा, असि0कमि0 खण्ड 2 अलीगढ़, असि0कमि0 खण्ड 10 इलाहाबाद, असि0कमि0 खण्ड 2 औरैया, डि0कमि0 खण्ड 1 बाँदा, असि0कमि0 खण्ड 2 चन्दौली, असि0कमि0 खण्ड 4 गाजियाबाद, डि0कमि0 खण्ड 17 कानपुर, डि0कमि0 खण्ड 9, 14, 20 एवं 21 लखनऊ, डि0कमि0 खण्ड 5 मेरठ, डि0कमि0 खण्ड 9 मुरादाबाद, असि0कमि0 खण्ड 6 मुजफ्फर नगर, डि0कमि0 खण्ड 12, 13, असि0कमि0 खण्ड 2 नोएडा एवं असि0कमि0 खण्ड 2 शाहजहाँपुर।

क्रो सं०	शीर्षक	प्रस्तर का संक्षिप्त विवरण	(₹ करोड़ में)														
			2016–17 के प्रेक्षण		2015–16			2014–15			2013–14			2012–13			
			मामले	धनराशि	प्रस्तर सं०	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं०	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं०	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं०	मामले	धनराशि	
3	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाणपत्र से अनाच्छादित वस्तुओं पर अनियमित रियायत	क0नि0प्रा0 16 वा0क0का0 ³ में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (दिसम्बर 2013 और मार्च 2016 के मध्य) वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान प्रपत्र 'सी' पर रियायती दर से धनराशि ₹ 19.22 करोड़ की कर योग्य वस्तुओं पर त्रुटिपूर्ण घोषणा की पहचान करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप ₹ 3.80 करोड़ का शास्ति आरोपित नहीं हुआ।	24	3.80	4.9.3	7	0.27	2.8	9	0.41	2.3.13.2	8	0.83	2.12.5	10	1.00	
											2.8.3	8	0.20				
4	विलम्ब से जमा हुए कर पर ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना	क0नि0प्रा0 24 वा0क0का0 ⁴ में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (जुलाई 2014 और मार्च 2016 के मध्य) वर्ष 2008–09 से 2013–14 के दौरान व्यापारियों द्वारा कर के विलम्ब से प्रेषण पर ₹ 1.53 करोड़ का ब्याज आरोपित करने में विफल रहे।	30	1.53	4.10	8	2.17	2.3.18.2	16	0.54	2.9.1	13	0.30	2.17	19	0.60	
								2.9	30	5.31	2.3.14	7	0.12				

³ डिं0कमि0 खण्ड 12 आगरा, डिं0कमि0 खण्ड 3 जी0बी0 नगर, ज्वा0कमि0(का0स0)–II, डिं0कमि0 खण्ड 2 एवं 12, असि0कमि0 खण्ड 4 गाजियाबाद, डिं0कमि0 खण्ड 16, 20 एवं 21 लखनऊ, डिं0कमि0 खण्ड 1, 8, 9, 10, 11 एवं 14 नोएडा तथा डिं0कमि0 खण्ड 1 रायबरेली।

⁴ डिं0कमि0 खण्ड 9 एवं 12 आगरा, असि0कमि0 खण्ड 3 एवं 4 इलाहाबाद, डिं0कमि0 खण्ड 1 चन्दौली, ज्वा0कमि0(का0स0) फिरोजाबाद, ज्वा0कमि0(का0स0) – I, डिं0कमि0 खण्ड 8, 9, 12, 15 एवं 17 गाजियाबाद, डिं0कमि0 खण्ड 28 कानपुर, ज्वा0कमि0(का0स0) – I, डिं0कमि0 खण्ड 1, 12 एवं 19 लखनऊ, डिं0कमि0 खण्ड 5, 8, 9 एवं 14 नोएडा, डिं0कमि0 खण्ड 3 शाहजहाँपुर तथा डिं0कमि0 खण्ड 9 एवं 21 वाराणसी।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एंवं राजस्व क्षेत्र)

क्र0 सं0	शीर्षक	प्रस्तर का संक्षिप्त विवरण	₹ करोड़ में)													
			2016–17 के प्रेक्षण		2015–16			2014–15			2013–14			2012–13		
			मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तर सं0	मामले	धनराशि
5	अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटी०सी०)	क०नि०प्रा० 17 वा०क०का० ⁵ में कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (मार्च 2013 और मार्च 2016 के मध्य) वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान धनराशि ₹ 80.29 लाख के अमान्य आईटी०सी० के ब्याज सहित दाये उत्क्रमित करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप धनराशि ₹ 1.18 करोड़ की ब्याज सहित ⁶ आईटी०सी० का कम/न उत्क्रमण हुआ।	20	1.18	4.11.4	15	0.77	2.10.1	21	0.87	2.10.1	15	12.41	—	—	—
6	व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य माल के क्र्य ⁷ पर आईटी०सी० का गलत दावा किया जाना	क०नि०प्रा० 10 वा०क०का० ⁶ में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के मध्य) वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान उन वस्तुओं पर, जो व्यापारियों द्वारा दावा की गयी दरों से कम पर करयोग्य थीं, धनराशि ₹ 1.08 करोड़	10	1.64	4.11.6	7	0.25	—	—	—	—	—	2.21.3	10	2.69	—

⁵ डिंकमि० खण्ड 7 आगरा, असि०कमि० खण्ड 2 आजमगढ़, ज्या०कमि०(का०स०) फैजाबाद, डिंकमि० खण्ड 2, 11, 14 एवं असि०कमि० खण्ड 4 गाजियाबाद, डिंकमि० खण्ड 3, 10 एवं 20 कानपुर, डिंकमि० खण्ड 5, 16 एवं 20 लखनऊ, डिंकमि० खण्ड 5 एवं 10 मेरठ तथा डिंकमि० खण्ड 1 एवं 10 नोएडा।

⁶ ज्या०कमि०(का०स०) इलाहाबाद, असि०कमि० खण्ड 3 बाराबंकी, डिंकमि० खण्ड 13, 16 एवं वा०क०अ० खण्ड 8 गाजियाबाद, ज्या०कमि०(का०स०) – I एवं डिंकमि० खण्ड 5 कानपुर, डिंकमि० खण्ड 5 एवं 12 मेरठ तथा डिंकमि० खण्ड 8 नोएडा।

क्र0 सं0	शीर्षक	प्रस्तार का संक्षिप्त विवरण	(₹ करोड़ में)															
			2016–17 के प्रेक्षण		2015–16			2014–15			2013–14			2012–13				
			मामले	धनराशि	प्रस्तार सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तार सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तार सं0	मामले	धनराशि	प्रस्तार सं0	मामले	धनराशि		
		आई0टी0सी0 उत्क्रमित करने तथा ₹ 56.16 लाख का ब्याज आरोपित करने में विफल रहे।																
योग	91 वाक030	122	19.28		53	7.00		104	16.39		87	29.48		52	7.17		30	3.11

परिशिष्ट-V
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या 6.9)

																		(धनराशि ₹ में)
क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाठा सं०/ खसरा संख्या से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा / खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	आगरा	उ०नि० एत्मादपुर	7474/ 21.6.16	5805/ 13.5.16	575	1010	505000	3000	3030000	3030000	5	151500	20000	171500	20200	10100	30300	141200
2	आगरा	उ०नि० फतेहाबाद	4821/ 21.6.16	4098/ 4.6.16	216	865	78000	900	778500	779000	4	31160	15570	46730	3900	1560	5460	41270
3	आगरा	उ०नि० फतेहाबाद	4671/ 17.6.16	4098/ 4.6.16	216	1327	120000	900	1194300	1195000	5	59750	20000	79750	6000	2400	8400	71350
4	आगरा	उ०नि० छैरागढ़	7468/ 28.10.16	7467/ 28.10.16	954	2200	5280000	4500	9900000	9900000	5	495000	20000	515000	254000	20000	274000	241000
5	आगरा	उ०नि० सदर प्रथम	2086/ 14.5.15	1106/ 12.3.15	617 का	3805	11225000	8500	32342500	32343000	7	2264010	10000	2274010	786000	10000	796000	1478010
6	आगरा	उ०नि० सदर द्वितीय	11018/ 23.10.15	3517/ 06.4.15	187	4828	4416000	4500	21796000	21796000	7	1525720	10000	1535720	309250	10000	319250	1216470
7	आगरा	उ०नि० सदर द्वितीय	6209/ 11.6.15	1270/ 05.2.15	886	1242	1370000	4000	4968000	4968000	7	347760	10000	357760	96000	10000	106000	251760
8	इलाहाबाद	उ०नि० हडिया	296/ 18.1.16	5224/ 20.8.15	460	570	1177000	5500	3135000	3135000	5	156750	20000	176750	58850	20000	78850	97900
9	इलाहाबाद	उ०नि० हडिया	4740/ 3.8.16	5763/ 14.9.15	460	600	1790000	5500	3300000	3300000	5	165000	20000	185000	89500	20000	109500	75500
10	इलाहाबाद	उ०नि० करछना	1479/ 19.2.16	863/ 31.1.15	346मि	2280	2543000	5200	11856000	11856000	7	829920	20000	849920	180000	20000	200000	649920
11	इलाहाबाद	उ०नि० करछना	4483/ 4.6.15	286/ 13.1.15 एवं 2502/ 18.4.15	1927खा एवं 1950का	3081	1264000	2200	6778200	6779000	7	474530	10000	484530	88500	10000	98500	386030

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/ खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
12	इलाहाबाद	उ०नि० करछना	2681/ 30.3.16	1197/ 10.2.16	1941, 1942का, 1991, 2002, 2007 एवं 2014	2381	1102000	2500	5952500	5953000	7	416710	20000	436710	77200	20000	97200	339510
13	इलाहाबाद	उ०नि० फूलपुर	7917/ 14.9.16	7668/ 6.9.16	172	1086	1278000	3600	3909600	3910000	6 व 7	263700	20000	283700	79460	20000	99460	184240
14	इलाहाबाद	उ०नि० सदर प्रथम	5949/ 25.10.16	4644/ 23.8.16	1003	1254	2656000	5300	6646200	6647000	7	465290	20000	485290	166000	20000	186000	299290
15	इलाहाबाद	उ०नि० सदर प्रथम	4583/ 20.8.16	1735/ 6.4.16	124	1663	1865000	3200	5321600	5322000	7	372540	20000	392540	131000	20000	151000	241540
16	इलाहाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	8862/ 21.11.16	10503/ 24.11.15	280	2280	8555000	7400	16872000	16872000	7	1181040	20000	1201040	600000	20000	620000	581040
17	इलाहाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	7761/ 24.8.15	7316/ 13.8.15	170	2674	3891000	5000	13370000	13370000	7	935900	10000	945900	272500	10000	282500	663400
18	इलाहाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	5074/ 15.6.16	3808/ 10.5.16 एवं 3807/ 10.5.16	9 एवं 10	1814.48	6976000	6800	12338464	12339000	7	863730	20000	883730	488500	20000	508500	375230
19	इलाहाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	7675/ 23.9.16	6083/ 2.8.16, 1581/ 24.2.16 एवं 1622/ 25.2.16	1148, 1155 एवं 1156	1470.58	6040000	6800	9999944	10000000	7	700000	20000	720000	423000	20000	443000	277000
20	इलाहाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	440/ 19.1.16	441/ 19.1.16	71	1512	3620000	4000	6048000	6048000	7	423360	20000	443360	253500	20000	273500	169860
21	ओरैया	उ०नि० बिधुना	494/ 20.1.16	404/ 18.1.16	232	2640	700000	1800	4752000	4752000	4 व 5	227600	20000	247600	28000	14000	42000	205600

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

(धनराशि ₹ में)																		
क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाठा/खसरा सं०/खसरा संख्या	गाटा/खसरा सं०/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
22*	आजमगढ़	उ०नि० निजामाबाद	2681/3.8.15	519/10.2.15	1068	1142	857000	5390	6155380	6156000	5	307800	10000	317800	42860	10000	52860	264940
23	आजमगढ़	उ०नि० सदर	2423/22.4.16	4386/9.7.15 एवं 4387/9.7.15	1993मि	6461.5	5657000	7000	45230500	45231000	5	2261550	40000	2301550	283250	40000	323250	1978300
24	आजमगढ़	उ०नि० सदर	7905/29.12.15	6090/19.9.15	151	1543.05	649000	2300	3549015	3550000	4 व 5	167500	20000	187500	26000	12980	38980	148520
25	आजमगढ़	उ०नि० सगड़ी	1589/19.3.16	1286/3.3.16	240	2721	1845000	7592	20657832	20658000	5	1032900	20000	1052900	92700	20000	112700	940200
26	आजमगढ़	उ०नि० सगड़ी	5007/17.8.16	1286/3.3.16	240	2041.2	1391000	7592	15496790	15497000	5	774850	20000	794850	69550	20000	89550	705300
27	आजमगढ़	उ०नि० सगड़ी	5349/5.9.16	3710/20.6.16	243मि	680.4	426000	8175	5562270	5563000	5	278150	20000	298150	21300	8520	29820	268330
28	बदायूँ	उ०नि० सदर द्वितीय	2593/24.4.15	8074/12.12.14	450मि	5060	1265000	2200	11132000	11132000	4 व 5	546600	10000	556600	53250	10000	63250	493350
29	बदायूँ	उ०नि० सदर द्वितीय	1789/19.3.15	659/29.1.15	300	2530	2151000	4500	11385000	11385000	6 व 7	786950	10000	796950	140600	10000	150600	646350
30	बदायूँ	उ०नि० सदर द्वितीय	2114/1.4.15	8179/17.12.14	1396	660	600000	4500	2970000	2970000	6 व 7	197900	10000	207900	36000	10000	46000	161900
31	बहराइच	उ०नि० सदर कैसरगंज	6999/29.6.15 एवं 7000/29.6.15	6973/29.6.15	210मि	980	258720	2000	1960000	1960000	5	98000	20000	118000	13000	2600	15600	102400
32	बाराबंकी	उ०नि० हैदरगढ़	3633/16.05.16	5342/30.09.14	262	1225	3056000	10100	12372500	12373000	5	618650	20000	638650	153000	20000	173000	465650
33	बाराबंकी	उ०नि० हैदरगढ़	8915/21.12.15	1222/24.02.15	316	290	170000	6600	1914000	1914000	5	95700	20000	115700	8500	3400	11900	103800

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/ खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
34*	बाराबंकी	उ०नि० हैदरगढ़	4702/ 14.07.16	3891/ 23.05.16	344मि	780	2165000	7900	6162000	6162000	5	308100	20000	328100	98250	20000	118250	209850
35*	ब्लैंडी	उ०नि० सदर द्वितीय	2325/ 08.03.16	186/ 07.1.16	199	820	1312000	5000	4100000	4100000	7	287000	20000	307000	92000	20000	112000	195000
36	बस्ती	उ०नि० सदर	4308/ 9.7.15	1912/ 24.3.15	437	1760	2112000	6000	10560000	10560000	6 व 7	729200	10000	739200	138020	10000	148020	591180
37	बुलन्दशहर	उ०नि० अनूपशहर	2997/ 18.5.16	1678/ 16.3.16	603	1265	1994000	5500	6957500	6958000	5 व 6	407480	20000	427480	89700	20000	109700	317780
38	बुलन्दशहर	उ०नि० खुर्जा	7755/ 09.06.15	1169/ 22.01.15	1100	2530	2409000	4000	10120000	10120000	7	708400	10000	718400	168700	10000	178700	539700
39	बुलन्दशहर	उ०नि० खुर्जा	155/ 04.01.16	15212/ 07.12.15	534	1010	1160000	4800	4848000	4848000	7	339360	20000	359360	81200	20000	101200	258160
40	बुलन्दशहर	उ०नि० खुर्जा	8311/ 19.06.15	1169/ 22.01.15	1100	632.5	904000	4000	2530000	2530000	7	177100	10000	187100	63300	10000	73300	113800
41	बुलन्दशहर	उ०नि० सदर द्वितीय	4723/ 27.06.15	2415/ 06.04.15	176	3050	7620000	8000	24400000	24400000	7	1708000	10000	1718000	535000	10000	545000	1173000
42	बुलन्दशहर	उ०नि० सदर द्वितीय	4962/ 04.07.15	2415/ 06.04.15	176	3050	7620000	8000	24400000	24400000	7	1708000	10000	1718000	535000	10000	545000	1173000
43	बुलन्दशहर	उ०नि० सदर द्वितीय	6617/ 09.09.15	2415/ 06.04.15	176	3050	8235000	8000	24400000	24400000	7	1708000	10000	1718000	576000	10000	586000	1132000
44*	बुलन्दशहर	उ०नि० सदर द्वितीय	4521/ 22.06.15	2175/ 26.03.15	243/2	2500	8788000	2300 वर्ग मी० के लिए ₹ 8000 तथा 200 वर्ग मी० के लिए ₹ 9000	20200000	20200000	7	1414000	10000	1424000	615000	10000	625000	799000

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
45	चन्दौली	उ०नि० सदर	9428/ 29.7.15	5664/ 11.5.15	1341	2530	1417000	2000	5060000	5060000	4 व 5	243000	10000	253000	61000	10000	71000	182000
46	चन्दौली	उ०नि० सदर	11670/ 15.10.16	6158/ 23.5.16	391	1130	452000	2000	2260000	2260000	7	158200	20000	178200	31650	9040	40690	137510
47	चन्दौली	उ०नि० सदर	13476/ 29.12.16	5842/ 17.5.16	578	1010	707000	2300	2323000	2323000	7	162610	20000	182610	49500	14140	63640	118970
48*	चन्दौली	उ०नि० सदर	3721/ 31.3.16	1182/ 2.2.15	109	2530	1771000	2300	5819000	5819000	7	407330	20000	427330	124000	20000	144000	283330
49	देवरिया	उ०नि० रुद्रपुर	349/ 5.2.15	257/ 28.1.15	242	1832.5	2199000	3000	5497500	5498000	5	274900	10000	284900	110000	10000	120000	164900
50	फर्रुखाबाद	उ०नि० कायमगंज	9097/ 28.11.15	9076/ 27.11.15	1222	1160	302000	1900	2204000	2204000	4 व 5	100200	10000	110200	12100	6040	18140	92060
51*	फर्रुखाबाद	उ०नि० कायमगंज	4600/ 30.05.16	979/ 29.01.16	327/1	440	176000	7000	3080000	3080000	6 व 7	205600	20000	225600	10600	3520	14120	211480
52*	फर्रुखाबाद	उ०नि० कायमगंज	4026/ 16.05.16	979/ 29.01.16	327/1	450	261000	7000	3150000	3150000	6 व 7	210500	20000	230500	15700	5220	20920	209580
53*	फर्रुखाबाद	उ०नि० सदर	13697/ 7.10.15	6836/ 15.5.15	480मि	1290	2322000	4800	6192000	6192000	7	433440	10000	443440	163000	10000	173000	270440
54*	फर्रुखाबाद	उ०नि० सदर	11211/ 10.8.15	9415/ 6.7.15	92	610	824000	5200	3172000	3172000	6 व 7	212040	10000	222040	49500	10000	59500	162540
55*	फर्रुखाबाद	उ०नि० सदर	2039/ 4.2.15	1799/ 31.1.15	371, 372 एवं 374मि	650	1170000	3300	2145000	2145000	7	150150	10000	160150	72000	10000	82000	78150
56	फिरोजाबाद	उ०नि० सदर प्रथम	4038/ 7.5.15	2601/ 26.3.15	190	2625	2835000	2500	6562500	6563000	7	459410	10000	469410	198500	10000	208500	260910
57	फिरोजाबाद	उ०नि० सदर प्रथम	5953/ 29.6.15	5595/ 19.6.15	266	1150	552000	2500	2875000	2875000	6 व 7	191250	10000	201250	33200	10000	43200	158050
58	फिरोजाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	3805/ 03.08.15	3532/ 27.07.15	321	2945	2121000	2300	6773500	6774000	7	474180	10000	484180	138500	10000	148500	335680
59	फिरोजाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	1893/ 29.04.15	1134/ 17.03.15	26	2860	1145000	2000	5720000	5720000	7	400400	10000	410400	80150	10000	90150	320250

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/ खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
60	फिरोजाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	1230/ 23.03.15	1222/ 21.03.15	524/4	4386	878000	1000	4386000	4386000	5	219300	10000	229300	44000	10000	54000	175300
61	फिरोजाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	3668/ 29.07.15	3390/ 22.07.15	559	1147	1239000	4000	4588000	4588000	7	321160	10000	331160	86750	10000	96750	234410
62	फिरोजाबाद	उ०नि० सदर द्वितीय	831/ 20.02.16	1010/ 09.03.15	585	2010	1206000	2500	5025000	5025000	7	351750	20000	371750	84500	20000	104500	267250
63	फिरोजाबाद	उ०नि० शिकोहाबाद	3125/ 07.04.16	2918/ 02.04.16	718/1	1620	584000	2000	3240000	3240000	7	226800	20000	246800	41000	11680	52680	194120
64	फिरोजाबाद	उ०नि० शिकोहाबाद	3925/ 02.05.16	2043/ 02.03.16	187	1620	681000	3000	4860000	4860000	5	243000	20000	263000	34050	13620	47670	215330
65	फिरोजाबाद	उ०नि० टुण्डला	3074/ 24.05.16	1193/ 20.02.16	504	997	799000	5500	5483500	5484000	5	274200	20000	294200	40000	15980	55980	238220
66	फिरोजाबाद	उ०नि० टुण्डला	2977/ 18.05.16	949/ 11.02.16	171	2010	1610000	5500	11055000	11055000	5	552750	20000	572750	80500	20000	100500	472250
67	फिरोजाबाद	उ०नि० टुण्डला	7592/ 29.12.15	7486/ 22.12.15	67	1610	552000	1800	2898000	2898000	5	144900	20000	164900	27700	11060	38760	126140
68	फिरोजाबाद	उ०नि० टुण्डला	3109/ 25.05.16	1452/ 02.03.16	504	770	617000	5500	4235000	4235000	5	211750	20000	231750	25000	12340	37340	194410
69	फिरोजाबाद	उ०नि० टुण्डला	2170/ 07.04.16	1452/ 02.03.16	504	770	700000	5500	4235000	4235000	5	211750	20000	231750	35000	14000	49000	182750
70	फिरोजाबाद	उ०नि० टुण्डला	7285/ 11.12.15	6933/ 21.11.15	532	831	499000	3500	2908500	2909000	5	145450	20000	165450	20000	10000	30000	135450
71	फिरोजाबाद	उ०नि० टुण्डला	2171/ 07.04.16	1452/ 02.03.16	504	770	617000	5500	4235000	4235000	5	211750	20000	231750	31000	12340	43340	188410
72	गाजियाबाद	उ०नि० सदर प्रथम	1900/ 22.3.16	677/ 2.2.16	2530	948.9	3701000	10000	9489000	9489000	7	664230	20000	684230	249100	20000	269100	415130
73	गाजियाबाद	उ०नि० सदर प्रथम	1901/ 22.3.16	677/ 2.2.16	2530	948.9	3701000	10000	9489000	9489000	7	664230	20000	684230	259100	20000	279100	405130

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
74	गाजीपुर	उ०नि० जमनियाँ	3605/ 22.8.16	3168/ 21.7.16	269 एवं 270	760	570000	5000	3800000	3800000	5	190000	20000	210000	28500	11400	39900	170100
75	गाजीपुर	उ०नि० जमनियाँ	606/ 9.2.16	560/ 8.2.16	2445	760	544000	7000	5320000	5320000	5	266000	20000	286000	27210	10880	38090	247910
76*	गाजीपुर	उ०नि० सदर	5064/ 26.9.15	1046/ 26.2.15	173	4300	3010000	3500	15050000	15050000	5	752500	10000	762500	151000	10000	161000	601500
77	गोरखपुर	उ०नि० चौरी चौरा	4057/ 15.12.15	2264/ 30.06.15	25/1	1010.25	1152000	3900	3939975	3940000	4 व 5	187000	20000	207000	47600	20000	67600	139400
78	गोरखपुर	उ०नि० चौरी चौरा	384/ 05.02.15	139/ 16.01.15	135	920.5	1374000	4200	3866100	3867000	5	193350	10000	203350	68700	10000	78700	124650
79	गोरखपुर	उ०नि० चौरी चौरा	443/ 10.02.15	199/ 22.01.15	624	1360	1673000	4620	6283200	6284000	4 व 5	304200	10000	314200	74100	10000	84100	230100
80	गोरखपुर	उ०नि० चौरी चौरा	2545/ 22.07.15	2264/ 30.06.15	25/1	1010.25	979000	3500	3535875	3536000	5	176800	10000	186800	49000	10000	59000	127800
81	गोरखपुर	उ०नि० गोला बाजार	1764/ 19.05.16 एवं 1479/ 02.05.16	329/ 27.01.16 एवं 1673/ 12.05.16	50मि	3240	2220000	1270	4114800	4115000	5	205750	40000	245750	95520	31000	126520	119230
82	गोरखपुर	उ०नि० सदर प्रथम	8337/ 07.10.15	7373/ 31.08.15	146	2670	1923000	6500	17355000	17355000	5	867750	10000	877750	96200	10000	106200	771550
83	गोरखपुर	उ०नि० सदर प्रथम	7660/ 09.09.15	7373/ 31.08.15	146	2750	2574000	6500	17875000	17875000	5	893750	10000	903750	129000	10000	139000	764750
84	गोरखपुर	उ०नि० सदर प्रथम	5041/ 18.06.15	4862/ 15.06.15	1010मि	1620	2000000	4500	7290000	7290000	5	364500	10000	374500	100000	10000	110000	264500
85	गोरखपुर	उ०नि० सदर प्रथम	6161/ 24.07.15	6015/ 22.07.15	1218	1110	1943000	4500	4995000	4995000	5	249750	10000	259750	98000	10000	108000	151750
86	गोरखपुर	उ०नि० सदर प्रथम	4740/ 11.06.15	4014/ 22.05.15	1975मि	850	3294000	7500	6375000	6375000	7	446250	10000	456250	230600	10000	240600	215650

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/ खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा / खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
87	गोरखपुर	उ०नि० सदर प्रथम	4000/ 18.05.16	3576/ 05.05.16	75	3740	2600000	5000	18700000	18700000	5	935000	20000	955000	130000	20000	150000	805000
88	गोरखपुर	उ०नि० सदर प्रथम	4478/ 04.06.15	1762/ 03.03.15	112मि	2060	1288000	7500	15450000	15450000	5	772500	10000	782500	64500	10000	74500	708000
89	गोरखपुर	उ०नि० सदर द्वितीय	6673/ 23.6.15	5977/ 9.6.15	371मि	5100	8415000	7500	38250000	38250000	7	2677500	10000	2687500	589150	10000	599150	2088350
90	गोरखपुर	उ०नि० सहजनवा	2234/ 18.06.16	1765 एवं 1766/ 17.05.16	72मि	2610	4000000	8300	21663000	21663000	7	1516410	20000	1536410	280000	20000	300000	1236410
91	हाथरस	उ०नि० सदर	4854/ 27.5.15	4480/ 18.5.15	139	2150	2473000	3500	7525000	7525000	5	376250	10000	386250	124000	10000	134000	252250
92	हाथरस	उ०नि० सदर	7447/ 30.7.15	3648/ 29.4.15	139	2100	2415000	3500	7350000	7350000	5	367500	10000	377500	121000	10000	131000	246500
93	हाथरस	उ०नि० सदर	5431/ 11.6.15	4101/ 21.5.15	138	1800	1710000	3500	6300000	6300000	5	315000	10000	325000	85500	10000	95500	229500
94	हाथरस	उ०नि० सदर	9667/ 15.10.15	8429/ 28.8.15	155	4096	1639000	1100	4505600	4506000	5	225300	29012	254312	90100	21800	111900	142412
95	जौनपुर	उ०नि० मछली शहर	4297/ 31.8.16	2384/ 7.5.14	147	4010	2764000	8500	34085000	34085000	5	1704250	20000	1724250	138200	20000	158200	1566050
96	जौनपुर	उ०नि० मछली शहर	6137/ 5.12.15	708/ 5.2.15	2708मि	2430	1203000	5500	13365000	13365000	4 व 5	658250	10000	668250	50150	10000	60150	608100
97	जौनपुर	उ०नि० मड़ियाहूँ	1936/ 12.5.15	1937/ 12.5.15	132मि	3180	3246000	5800	18444000	18444000	4 व 5	912200	10000	922200	152500	10000	162500	759700
98	जौनपुर	उ०नि० मड़ियाहूँ	3437/ 7.8.15	3399/ 4.8.15	126	850	816000	7900	6715000	6715000	4 व 5	325750	10000	335750	40800	10000	50800	284950
99	जौनपुर	उ०नि० सदर	1720/ 25.2.15	670/ 23.1.15	208मि	1440	692000	3800	5472000	5472000	5	273600	10000	283600	34600	10000	44600	239000
100	जौनपुर	उ०नि० शाहगंज	3259/ 7.6.16	4061/ 22.6.15	576	2316.6	2607000	8000	18532800	18533000	5	926650	20000	946650	130350	20000	150350	796300

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
101	जौनपुर	उ०नि० शाहगंज	4639/ 4.8.16	4678/ 5.8.16 (तहरीर 4.8.16)	1639	1105	820000	9400	10387000	10387000	4 व 5	509350	20000	529350	32800	16400	49200	480150
102	जौनपुर	उ०नि० शाहगंज	3507/ 29.5.15	3305/ 22.5.15	30	1305	1403000	7500	9787500	9788000	5	489400	10000	499400	70150	10000	80150	419250
103	जौनपुर	उ०नि० शाहगंज	1898/ 30.3.16	1861/ 29.3.16	562/1	1012	972000	7800	7893600	7894000	4 व 5	384700	20000	404700	39020	19440	58460	346240
104	जौनपुर	उ०नि० शाहगंज	3423/ 27.5.15	1084/ 10.2.15	1926	1100	825000	6400	7040000	7040000	5	352000	10000	362000	41250	10000	51250	310750
105	जौनपुर	उ०नि० शाहगंज	4203/ 29.6.15	4168/ 26.6.15	973	1170	1573000	6400	7488000	7488000	5	374400	10000	384400	78650	10000	88650	295750
106	झाँसी	उ०नि० सदर द्वितीय	5726/ 14.7.15	धारा 143	622मि	6600	528000	1200	7920000	7920000	7	554400	10000	564400	37000	10000	47000	517400
107	कानपुर नगर	उ०नि० बिल्लहौर	782/ 20.2.17	5619/ 21.7.16	796	1315	658000	3500	4602500	4603000	5	230150	20000	250150	33000	13160	46160	203990
108	कानपुर नगर	उ०नि० घाटमपुर	4089/ 7.6.16	4092/ 01.06.16/ 7.6.16	2341	865	326000	3700	3200500	3201000	4 व 5	150050	20000	170050	13100	6520	19620	150430
109	कानपुर नगर	उ०नि० सदर प्रथम	133/ 17.1.17	425/ 23.1.16	706मि	4300	3071000	2400	10320000	10320000	7	722400	20000	742400	215000	20000	235000	507400
110	कानपुर नगर	उ०नि० सदर प्रथम	103/ 5.1.16	125/ 6.1.16	790मि	1230	672000	2400	2952000	2952000	7	206640	20000	226640	49000	14000	63000	163640
111	कानपुर नगर	उ०नि० सदर द्वितीय	7008/ 20.11.15	6997/ 20.11.15	94मि	2150	3655000	8000	17200000	17200000	7	1204000	10000	1214000	256000	10000	266000	948000
112	कानपुर नगर	उ०नि० सदर द्वितीय	6728/ 06.11.15	6729/ 06.11.15	695	2316.39	7413000	9000	20847510	20848000	7	1459360	10000	1469360	519000	10000	529000	940360

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/ खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
113	कानपुर नगर	उ०नि० सदर द्वितीय	1633/ 11.03.16	1643/ 09.3.16/ 11.03.16	969मि	1430	2932000	10500	15015000	15015000	7	1051050	20000	1071050	205500	20000	225500	845550
114	कानपुर नगर	उ०नि० सदर तृतीय	19931/ 8.12.15	19671/ 03.12.15	708	1125	3539000	9500	10687500	10688000	7	748160	20000	768160	247750	20000	267750	500410
115	कानपुर नगर	उ०नि० सदर चतुर्थ	1530/ 18.02.16	6065/ 15.07.15	264	3344	4264000	4200	14044800	14045000	7	983150	20000	1003150	298500	20000	318500	684650
116	कानपुर नगर	उ०नि० सदर चतुर्थ	131/ 05.01.16	4870/ 11.06.15 एवं 6836/ 03.08.15	248	2800	1680000	2900	8120000	8120000	7	568400	20000	588400	117700	20000	137700	450700
117	कानपुर नगर	उ०नि० सदर चतुर्थ	6608/ 28.07.16	6065/ 15.07.15	264	1105	1409000	4200	4641000	4641000	7	324870	20000	344870	98700	20000	118700	226170
118	कासगंज	उ०नि० सदर	3491/ 20.4.16	3362/ 22.4.15	637 स	1188	714000	6000	7128000	7128000	7	498960	20000	518960	50110	14280	64390	454570
119	कासगंज	उ०नि० सदर	4290/ 21.5.15	2727/ 30.3.15	401	1170	644000	3500	4095000	4095000	7	286650	20000	306650	45160	12880	58040	248610
120	कासगंज	उ०नि० सदर	5841/ 2.7.15	3981/ 12.5.15	658	610	440000	5000	3050000	3050000	7	213500	10000	223500	30800	8800	39600	183900
121	कासगंज	उ०नि० सदर	5621/ 20.6.16	10053/ 26.11.15	494	850	1020000	3000	2550000	2550000	7	178500	20000	198500	71400	20000	91400	107100
122	कासगंज	उ०नि० सदर	5692/ 21.6.16	186/ 7.1.15	498	850	1020000	3000	2550000	2550000	6 व 7	168500	20000	188500	61400	20000	81400	107100
123*	कासगंज	उ०नि० सदर	10288/ 4.12.15	4300/ 21.5.15	77	770	600000	7000	5390000	5390000	7	377300	10000	387300	30100	10000	40100	347200
124	कुशीनगर	उ०नि० हाटा	7400/ 1.12.15	7297/ 24.11.15	634	3880	1940000	5600	21728000	21728000	5	1086400	10000	1096400	97000	10000	107000	989400
125	कुशीनगर	उ०नि० हाटा	815/ 6.2.16	730/ 2.2.16	571मि	1740	1340000	6000	10440000	10440000	5	522000	20000	542000	67050	20000	87050	454950
126	कुशीनगर	उ०नि० हाटा	704/ 1.2.16	3604/ 3.7.14	2	1700	561000	1600	2720000	2720000	4 व 5	126000	20000	146000	22450	11220	33670	112330
127	कुशीनगर	उ०नि० हाटा	4114/ 24.6.16	2458/ 17.5.14	1503	911.25	1307000	4300	3918375	3919000	5	195950	20000	215950	65350	20000	85350	130600

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

(धनराशि ₹ में)																		
क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
128	कुशीनगर	उ०नि० कसयां	639/ 15.2.16	557/ 8.2.16	702मि	810	1013000	2500	2025000	2025000	7	141750	20000	161750	71000	20000	91000	70750
129*	कुशीनगर	उ०नि० सदर	8344/ 12.12.14	8260/ 10.12.14	55/5/7	690	966000	4200	2898000	2898000	6 व 7	192860	10000	202860	58010	10000	68010	134850
130	लखीमपुर खीरी	उ०नि० गोला गोकरन	15951/ 4.12.14	5224/ 25.4.14	1964	6800	2856000	4300	29240000	29240000	5	1462000	10000	1472000	143000	10000	153000	1319000
131	लखनऊ	उ०नि० मलिहाबाद	1382/ 16.03.16	2023/ 21.4.15	213	1860	612000	1000 वर्ग मीटर तक ₹ 6000 एवं 860 वर्ग मीटर के लिए ₹ 4200 .	9666000	9666000	4 व 5	473300	20000	493300	24500	12240	36740	456560
132	लखनऊ	उ०नि० मलिहाबाद	5694/ 30.11.15	5590/ 24.11.15	1070	730	255500	5000	3650000	3650000	5	182500	10000	192500	13000	5120	18120	174380
133	महराजगंज	उ०नि० सदर	3185/ 23.04.16	2911/ 31.03.15	46	1210	1755000	6300	7623000	7623000	5	381150	20000	401150	77750	20000	97750	303400
134	मऊ	उ०नि० सदर	2264/ 9.4.15	1921/ 23.3.15	93	1360	1906000	4000	5440000	5440000	7	380800	10000	390800	133430	10000	143430	247370
135	मऊ	उ०नि० सदर	2988/ 29.4.16	5766/ 31.8.15	332मि	1247	1497000	4000	4988000	4988000	7	349160	20000	369160	104800	20000	124800	244360
136	मऊ	उ०नि० सदर	6508/ 3.10.15	4412/ 3.7.15	55मि	1130	1808000	4600	5198000	5198000	6 व 7	353860	10000	363860	116560	10000	126560	237300
137	मऊ	उ०नि० सदर	7023/ 29.10.15	7025/ 29.10.15	764मि	755	1284000	4000	3020000	3020000	7	211400	10000	221400	90000	10000	100000	121400
138	मऊ	उ०नि० सदर	660/ 3.2.16	7744/ 3.12.15	270	680	2040000	5500	3740000	3740000	7	261800	20000	281800	142800	20000	162800	119000
139	मेरठ	उ०नि० सदर चतुर्थ	4853/ 3.8.15	3518/ 12.6.15	1335	3975	1988000	2400	9540000	9540000	5	477000	10000	487000	100000	10000	110000	377000

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं०/ खसरा सं० से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा / खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
140	मिर्जापुर	उ०नि० चुनार	8893/ 3.11.15	6815/ 17.8.15	88/4	2530	295000	900	2277000	2277000	5	113850	10000	123850	14750	5900	20650	103200
141	मुजफ्फर नगर	उ०नि० सदर प्रथम	3641/ 29.4.16	9075/ 18.9.15	298	4031	10043200	4500	18139500	18140000	7	1269800	20000	1289800	703000	20000	723000	566800
142*	प्रतापगढ़	उ०नि० पट्टी	4140/ 6.8.15	1852/ 22.4.15	682मि	240	405000	8200	1968000	1968000	7	137760	10000	147760	20300	8100	28400	119360
143	प्रतापगढ़	उ०नि० सदर	179/ 11.1.16	183/ 11.1.16	84	2380	753000	1500	3570000	3570000	4 व 5	168500	20000	188500	30120	15060	45180	143320
144	प्रतापगढ़	उ०नि० सदर	1579/ 26.3.16	1523/ 22.3.16	74मि	1290	4113000	5500	7095000	7095000	6 व 7	486650	20000	506650	278000	20000	298000	208650
145	श्रामपुर	उ०नि० बिलासपुर	5425/ 30.7.16	6175/ 4.9.15	254	2150	1183000	3500	7525000	7525000	5	376250	20000	396250	59200	20000	79200	317050
146	श्रामपुर	उ०नि० बिलासपुर	5426/ 30.7.16	6175/ 4.9.15	254	1830	1008000	3500	6405000	6405000	5	320250	20000	340250	50500	20000	70500	269750
147	श्रामपुर	उ०नि० बिलासपुर	6386/ 15.9.16	2295/ 30.3.16	48/८मि	1393.5	1394000	4000	5574000	5574000	5	278700	20000	298700	70000	20000	90000	208700
148*	श्रामपुर	उ०नि० बिलासपुर	4957/ 15.7.16	4689/ 4.7.16	186मि	3780	3213000	4000	15120000	15120000	5	756000	20000	776000	160700	20000	180700	595300
149*	श्रामपुर	उ०नि० बिलासपुर	4754/ 6.7.16	4756/ 6.7.16	430	5725	2760000	1000	5725000	5725000	5	286250	20000	306250	138000	20000	158000	148250
150*	शाहजहाँपुर	उ०नि० जलालाबाद	5937 / 16.7.16	3777/ 25.5.16	29	970	204000	2500	2425000	2425000	5	121250	20000	141250	10200	4080	14280	126970
151	सिद्धार्थ नगर	उ०नि० बांसी	2913/ 21.7.16	103/ 11.1.16	597क मि	760	380000	3500	2660000	2660000	6 व 7	176200	20000	196200	22800	7600	30400	165800
152	सीतापुर	उ०नि० सिघौली	4137/ 15.6.15	3865/ 8.6.15	18	840	427000	4250	3570000	3570000	5	178500	10000	188500	21350	8540	29890	158610

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	गाटा / खसरा सं०/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी० में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का कुल मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
153	सीतापुर	उ०नि० सिघौली	331/ 19.1.16	5282/ 20.7.15	298	2000	130000	8200	16400000	16400000	5	820000	20000	840000	65000	20000	85000	755000
154	सीतापुर	उ०नि० सिघौली	1024/ 25.2.16	6368/ 14.11.14	549	520	516000	4500	2340000	2340000	5	117000	20000	137000	25800	10320	36120	100880
155*	सोनभद्र	उ०नि० राबर्ट्सगंज	2592/ 26.3.16	2012/ 13.3.15	755मि	1770	850000	2700	4779000	4779000	4 - ५	228950	20000	248950	34000	17000	51000	197950
156*	सोनभद्र	उ०नि० राबर्ट्सगंज	981/ 5.2.16	2012/ 13.3.15	755मि	633	308000	2700	1709100	1710000	5	85500	20000	105500	15400	6160	21560	83940
157	वाराणसी	उ०नि० सदर प्रथम	5043/ 12.7.16	4927/ 9.7.16	699 एवं 700	1180	6212000	7800	9204000	9204000	7	644280	20000	664280	435000	20000	455000	209280
	योग	69				293470.75	321358420		1345699330	1345719000		80021660	2534582	82556242	19898830	2156440	22055270	60500972

* इन प्रकरणों में कलेक्टर स्टाम्प द्वारा स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया।

(स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एजीयूपी.एनआईसी.इन